ISSN:0975-4431
RNI:MPHIN/2009/29572

नवीन सामाजिक शोध

नवीन सामाजिक शोध

अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

NAVEEN SAMAJIK SHODH

International Monthly Research Journal

वर्ष-8 अंक-5 (कुल अंक-89) जुलाई 2016

मूल्य - 100 रुपये

International Research Journal
Research Journal Useful for
Social Development

नवीन सामाजिक शोध

मासिक शोध पत्रिका

अध्ययन एवं अनुसंधान पर
आधारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में
उत्कृष हार्य करने पर

ISSN:0975-4431 प्राप्त हुआ

हम सभी क्षेत्रों विषयों पर वैज्ञानिकों प्रोफेसरों और शोद्यार्थीयों द्वारा तैयार शोध पत्रों का प्रकाशन करते हैं

शोद्यार्थीयों द्वारा अपना रिसर्च वर्क प्रारम्भ करने से पूर्व पांच शोध पत्रों के प्रकाशन की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए हिन्दी इंगलिश भाषाओं में शोध पत्रों का प्रकाशन करते हैं

सामान्यतः विज्ञान विषयों के शोध पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होते हैं किन्तु हम विज्ञान विषय के शोध पत्र भी हिन्दी भाषा में प्रकाशित करते हैं। जिससे हमारे मध्यप्रदेश के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर पाते हैं।

अतः हमारी पत्रिका में केवल उच्च गुणवत्ता प्राप्त अनुसंधानिक/शोध पत्र ही प्रकाशित किये जाते है।

प्रकाशक

अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

नवीन सामाजिक शोध

वर्ष-8 अंक-7 (कुल अंक 91) सितम्बर 2016

R.N.I. M.P.HIN/2009/29572 ISSN-0975-4431

संपादकीय कार्यालय : 25, रूपनगर कालोनी, जे.के. रोड, भोपाल-462041.(म.प्र.) दूरभाष : 09300279796, 09425704990

Email : naveensamajikshodh@yahoo.com

Website : www.naveensamajikshodh.com

संस्थापक प्रधान सम्पादक
स्व.डॉ.जी.सी. सक्सेना

प्रधान सम्पादक
राजेन्द्र सक्सेना

प्रबंध संपादक
अभिजीत सक्सेना

संपादक
श्रीमती सविता सक्सेना

उपसंपादक
डॉ.संजय अग्रवाल (चिकित्सक)
डॉ. संतोष धुर्वे (समाजशास्त्री)
डॉ. विजय दुबे (वाणिज्य) ग्वा.

वरिष्ठ शोध अधिकारी
डॉ. कुसुमा भारद्वाज

शोध अधिकारी
डॉ. ममता दुबे ग्वालियर
श्रीमती रितु मेहरा

ग्राफिक्स
तनवीर कुरेशी

सलाहकार संपादक
राजेश सक्सेना

विदेशों में क्षेत्रीय कार्यालय : (विदेशी विषय विशेषज्ञ संपादक)

1. डॉ. राम भारद्वाज चिकित्सक
पो.बॉ. नं. 361, पोस्टल कोड नं. 319, सहम सुलतानेट ऑफ ओमान

2. प्रो. डॉ. सुधाकर कोटा (अर्थशास्त्री)
प्रोफेसर इकोनोमिक्स एण्ड मार्केटिंग, स्काईलाईन, युनिवर्सिटी शारजाह यूएई

3. कविता शुक्ला असिस्टेंट प्रोफेसर,
111, शेख रसीद बिल्डिंग, शेख जायद रोड, यू.ए.ई. दुबई

4. डॉ. नमिता चौहान समाजशास्त्री,
आस्ट्रेलिया

5. डॉ. प्रिन्स डेविड दंत चिकित्सक
11, अलब्रेस्ट एवेन्यू, माउंट रास्किल, ओकलैण्ड 1041, न्यूजीलैण्ड

6. श्री सजग चतुर्वेदी, स्टेनफोर्ड, यूनिवर्सिटी थाईलैण्ड

7. श्रीमती ऋति चतुर्वेदी, कनाडा

8. श्रीमती प्रतिभा, कनाडा

9. डॉ. उमेश रस्तोगी, लंदन

सहयोग राशि : देश में : साधारण अंक 100/–वार्षिक : 1000/–
आजीवन सदस्यताः 10000/
विदेशों में : साधारण अंक : 18 डॉलर, वार्षिक : 180 डॉलर
सारे भुगतान (मनीआर्डर/चैक/ड्रॉफ्ट) नवीन सामाजिक शोध के नाम से किए जावें। चैक से भुगतान करने पर रू.30–अतिरिक्त भेजें।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक–राजेन्द्र सक्सेना द्वारा एम.आई आफसेट वर्क्स, 91, रशीदिया स्कूल के पास, बरखेड़ी, भोपाल–8 द्वारा मुद्रित एवं 25, रूपनगर कालोनी, जे.के. रोड, भोपाल–462023 (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक–श्रीमती सविता सक्सेना

सभी लेखों में लेखकों के अपने मौलिक विचार है। संपादक अथवा संपादक मंडल का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। हमारा संपादक मंडल पूर्णत अवैतनिक एवं अव्यावसायिक है। विवाद की स्थिति में सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

नवीन सामाजिक शोध

इस अंक में

1. कौशल विकास योजना ..... नीलिमा चटर्जी - 6
2. पर्यावरण और प्रदूषण ..... नीलिमा चटर्जी - 11
3. बाल–श्रम एक अध्ययन..... कविता रायकवार - 23
4. मध्यप्रदेश में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली की संभावनायें.....डॉ. संगीता मिश्रा - 32
5. मत्स्य पालन के क्षेत्र मे समस्याएँ, सुझाव एवं संभावनायें.....डॉ. केशव मिश्रा - 37
6. विभिन्न समाजिक आर्थिक स्तर एवं पारिवारिक ..... डॉ. अलका डेविड - 42
7. जल संसाधनों की भूमिका का विश्लेषणात्मक.....डॉ. भेरूलाल चौरडिया - 46
8. प्रेमचन्द के कथा–साहित्य में दलित चेतना ..... ललिता कु. मीणा - 51
9. Management of Innovation and Technology.....Ms. Tanveer Khan - 55
10. Ethical issues and financial services in modern..... Santosh Yadav - 64
11. Rural-Urban Linkages in India .....Dharampal Singh - 69
12. To study the Distribution of Adults According.....Dr. Renu Jain - 76

सलाहकार मंडल

- **प्रो. डॉ. आई.एस. चौहान,** पूर्व कुलपति, बरकतुल्लाह एवं भोज विश्वविद्यालय, भोपाल–म.प्र.। फोन : 0755–2424777
- **प्रो. डॉ. विनोद पी. सक्सेना,** पूर्व कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर म.प्र.। फोन : 0755–2628055
- **प्रो. डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव,**
  पूर्व कुलपति, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर–म.प्र.।
- **प्रो. डॉ. राजपाल सिंह,** सदस्य, सलाहकार यूजीसी (उच्च शिक्षा) भारत सरकार। मो. 9425028689
- **डॉ. के. के. तिवारी**
  शिक्षाविद्, राज्यपाल अधिकृत ई.सी.सदस्य डीएवीवी इंदौर मो. **9893014415**
- **वरिष्ठ वकील श्री खलीलउल्लाह खान,** पूर्व चेयरमेन, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल–म.प्र.। मो. 9826225266
- **श्री आई.बी. सिंह,** पूर्व निदेशक, ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, चित्रकूट–म.प्र.। मो. 9329138005
- **डॉ. ललित श्रीवास्तव, नेत्र विशेषज्ञ,** अध्यक्ष, मध्यप्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन, भोपाल–म.प्र.। मो. 9827007500

संपादक मंडल

- प्रो. संजय एस. अग्रवाल, विभागाध्यक्ष, पीपुल्स मेडीकल कालेज
- प्रो. अलका डेविड, विभागाध्यक्ष,गृह विज्ञान, शा.सरोजनी नायडू कालेज,
- प्रो. अरविंद चौहान, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल।
- प्रो.आर.शंकर, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र, भारतीदर्शन विश्वविद्यालय, तिरूचरापल्ली–तमिलनाडु (620024)।
- प्रो.परवेज अहमद अब्बासी, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, वी.एन.एस.जी. विश्वविद्यालय सूरत गुजरात,।
- डॉ0 कुमारी चित्रा शर्मा संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय, भोपाल
- प्रो.डॉ. कामिनी जैन, प्राचार्य शास. स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, पिपरिया
- प्रो. आभा चौहान, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, जे.एण्ड के.।
- डॉ. वंदना बक्शी, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग एक्सीलेंस कालेज, कोलार रोड, भोपाल।
- डॉ. दिनेश परमार, अनुवांशिकी विभाग, ब.वि., भोपाल।
- डॉ. सुमंगला पटेरिया, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी विभाग। एक्सीलेंस कालेज, कोलार रोड, भोपाल
- डॉ. आरती श्रीवास्वत, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग शासकीय कॉलेज नसरूल्लागंज।
- डॉ.जितेन्द्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी आफ कामर्स एंड मैनेजमेंट, जी.जी.डी. एस.डी. (पीजी) कालेज, पलवल।
- डॉ. कुसुमा भारद्वाज, स.प्रा.,एक्सीलेंस कालेज, कोलार रोड, भोपाल।
- डॉ. विपिन व्यास, व्याख्याता, लिमनोलॉजी, ब.वि., भोपाल।
- श्री अजय बिसारिया,व्याख्याता, हिंदी विभाग, अ.मु.वि.,अलीगढ़–उ.प्र.।
- डॉ. संदीप कुमार मल्होत्रा, विभागाध्यक्ष गणित शा. संजय गांधी स्मृति स्नाकोत्तर, महाविद्यालय, गंजबासोदा म.प्र.
- डॉ. विश्वनाथ मिश्रा, पूर्व प्राचार्य (समाजशास्त्र) कालीचरन पी.जी. कालेज, लखनऊ
- इंजि. रोहन गुप्ता, एम–2/5, बी.डी.ए. कालोनी, लालघाटी, भोपाल
- डॉ. अमित कुल्हार, जिला पंचायत भोपाल

सम्पादकीय

प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एडमिशन से लेकर अंक सूची लेने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। विद्यार्थी फीस भी ऑनलाइन भर सकते हैं। सभी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। अभी तक 264 महाविद्यालय एवं सभी विश्वविद्यालय में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवा दी गयी है। इस वर्ष 100 महाविद्यालय में यह सुविधा दी जायेगी। इसके साथ ही 177 महाविद्यालय में डिजिटल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है। प्रदेश के 101 महाविद्यालय में वर्चुअल कक्षाओं का संचालन हो रहा है। स्नातक स्तर पर 400 और स्नातकोत्तर में 80 से अधिक ई-व्याख्यान हो चुके हैं। आगामी वर्ष में 25 अन्य महाविद्यालय को इससे जोड़ना है। आधुनिक तकनीक से शिक्षण व्यवस्था के लिए शासकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम बनाये जा रहे है। इस वर्ष एक करोड़ का प्रावधान है। विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ई-लायब्रेरी बनायी जा रही हैं। प्रदेश में 83 महाविद्यालय में ई-लायब्रेरी की स्थापना की गयी हैं। 20 महाविद्यालय में इसका कार्य प्रस्तावित है। वर्ष 2016-17 में इसके लिए 350 लाख का प्रावधान किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग विद्यार्थी बेहतर ढंग से कर सकें, इसके लिए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन देने की योजना है। उच्च शिक्षा विभाग पेपरलेस आफिस के कांसेप्ट में कार्य कर रहा है। सभी पत्र एवं निर्देश महाविद्यालयों को आनलाइन भेजे एवं मंगवाये जाते हैं। सेक्योर ई-मेल सर्विस भी शुरू की गयी है। विभाग में कर्मचारी-अधिकारी की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी महाविद्यालय में बायोमीट्रिक मशीन लगायी जा रही हैं। योजनाओं की सतत मॉनीटरिंग के लिये स्काइप के माध्यम से अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्य और क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को उच्च शिक्षा आयुक्त कार्यालय से जोड़ा गया है। सत्र 2015-16 में पहली बार प्रायवेट महाविद्यालयों में विषय एवं पाठ्यक्रम की निरंतरता संबंधी आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये गये। एन.सी.टी.ई. से संबंधित पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिये भी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर उनका निराकरण किया गया। बी.पी.एड., एम.पी.एड. और एम.एड. पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया भी ऑनलाइन की गई। विद्यार्थियों में पाठ्यक्रम के अध्ययन के साथ ही उन्हें भारतीय संस्कृति और परम्परा की जानकारी देने के उद्देश्य से व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इसके जरिये पहला व्याख्यान 'दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी' पर हुआ। इसके बाद हर माह महाविद्यालयों में विभिन्न विषय पर व्याख्यान करवाये जा रहे हैं। इससे लगभग एक लाख 20 हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुए। सभी शासकीय महाविद्यालय में व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ स्थापित हो चुके हैं। सभी जिलों में युवा केन्द्र की स्थापना की गयी है। महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की उपलब्धता और माँग के अनुसार विषयों का युक्ति-युक्तकरण किया गया। भोपाल में ही लगभग 750 पद का युक्ति-युक्तकरण किया गया। यह प्रक्रिया सभी जिलों में की जायेगी। महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्टॉफ की कमी को दूर करने के लिये 2163 रिक्त पद की भर्ती की प्रकिया मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है।

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

कौशल विकास योजना

नीलिमा चटर्जी
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग
शासकीय महाविद्यालय, बरेली (म.प्र.)

प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग से हुई मीटिंग के बाद स्किल डेवेलोपमेंट मिशन के तहत प्रधामंत्री कौशल विकास योजना की घोषणा की उन्होंने यह भी कहा कि हमारा देश दुनियाँ में सबसे अधिक युवा शक्ति वाला देश हैं 7 यह बात उन्होंने अपने अमेरिका दौरे में भी कही थी साथ ही उन्होंने कहा था कोई देश ऐसा नहीं जहाँ भारत का वासी ना हो हमारा देश पुरे विश्व में फैला हुआ हैं जनसँख्या की अधिकता को हमेशा ही देश गरीबी में उत्तरदायी माना गया हैं लेकिन आज अपने शब्दों में नयी जागरूकता लाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ही देश की सबसे प्रबल ताकत कहा हैं

देश की गरीबी को हटाने मे स्किल डेवेलोपमेंट मिशन बहुत सहायक होगा गरीबो की यह प्रचंड सेना ही इस मुसीबत से बाहर ला सकती हैं प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश को कहा हैं जो कि अपने आप में इस समस्या के समाधान के लिए एक हल हैं जिस तरह से चीन एक ग्लोबल मेनीफेकचरिंग फेक्ट्री के रूप में उभर कर सामने आया

मोदी ने कहा सबसे पहले हमें दुनियाँ की सभी आवश्यक्ताओं को लेकर एक मानचित्र बनाना होगा उसके बाद हम उनके अनुसार मानव संसाधन तैयार करेंगे भारत के सभी संस्थाओं को संगठित कर उन्हें से जोड़ा जायेगा जिससे विश्व स्तर पर राष्ट्रीय कौशल विकास कार्य हो सके

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लक्ष्य

इस योजना के पहले वर्ष में 24 लाख वर्कर्स को शामिल किया जाएगा इसके बाद वर्ष 2022 तक यह संख्या 40.2 करोड़ ले जाने की योजना हैं

राष्ट्रीय कौशल विकास का मुख्य उद्देश्य देश में सभी युवा वर्ग को संगठित कर उनके कौशल को निखार कर उनकी योग्यतानुसार रोजगार प्रदान करना हैं

राष्ट्रीय कौशल विकास के लिए लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ सके इसके लिए उन्हें लोन की सुविधा दी जाएगी जिससे वो इस दिशा में कार्य कर सके

नरेंद्र मोदी ने इस और ध्यान केन्द्रित करते हुए कहा कि देश की जनसंख्या में 65 ल युवा हैं जिनकी उम्र 35 से कम हैं यह एक देश की शक्ति हैं अगर इन्हें वक्त रहते निखारा जाए तो आसानी से रोजगार में लग सकते हैं जिसके लिए उन्हें बहुत अधिक मात्रा में व्यय ना करना पड़े इस लिए राष्ट्रिय कौशल विकास योजना लायी जा रही हैं मोदी ने यह स्पष्ट किया कि हायर एजुकेशन के बाद तो रोजगार मिलता हैं लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी ट्रेनिंग सुविधा होनी चाहिये जिससे किसी विशेष क्षेत्र में कौशल अर्जित कर रोजगार प्राप्त किया जा सके जिसमे व्यय कम हो साथ ही समय भी कम लगे

PM kaushal vikas yojana skill development scheme को सभी तक पहुँचाने के लिए सरकार ने कई टेलिकॉम कंपनियों का सहयोग लिया हैं जिसके जरिये स्स्स के द्वारा सभी को Pradhan Mantri kaushal vikas yojana skill development की जानकारी दी जाएगी

कैसे जुड़े प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से ?

सरकार ने कई टेलिकॉम कंपनी को इस दिशा में कार्य करने के लिए अपने साथ जोड़ा हैं

यह टेलिकॉम कंपनी स्स्स द्वारा इस योजना को सभी लोगो तक पहुँचाएगी

इसके साथ ही स्स्स में एक ट्रोल नंबर दिया जायेगा जिस पर कैंडिडेट को मिस कॉल देना होगा

मिस कॉल के तुरंत बाद आपको ऑटोमेटीकली एक नंबर से कॉल बेक आएगा जिसके जरिये आप ङ्कङ्क्र सुविधा से जुड़ जायेंगे

इसके बाद कैंडिडेट को अपनी जानकारी दिए गये निर्देशानुसार भेजनी होगी यह जानकारी सिस्टम में सेव कर ली जाएगी

इस जानकारी के मिलते ही कैंडिडेट को उसकी रेंज अर्थात उसके रहवास के सबसे निकट ट्रेनिंग सेंटर से जोड़ा जायेगा जहाँ से उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त होगी 7

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगुवाई –

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से स्वयं प्रधानमंत्री के साथ अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, स्मृति ईरानी, जे. पी. नन्दा, मनोहर परिकर आदि जुड़ेंगे मुख्य रूप से PM एवम वित्तमंत्री अरुण जेटली के साथ तीन मुख्य मंत्री इस योजना के सदस्य होंगे 7 इसके साथ रूलर डेवलपमेंट, लेबर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लेबर एंड एम्प्लोयीमेंट, ओवरसीज़ अफेयर्स, ङ्क्ष, एवम नीति आयोग के डिप्टी चेयरमेन आदि शामिल होंगे 7

अपने भाषण में मोदी ने यह भी कहा पहले देश के नाम से विश्व में माना जाता था लेकिन अब IIT (industrial training institutes) की सफलता के रूप में विख्यात होगा इस एक लाइन के पीछे इस

योजना में कितनी शक्ति हैं इसका पता चलता हैं

मोदी जी की लंबी यात्रा के बारे में लोग आये दिन बाते करते हैं लेकिन यह यात्रायें ही विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं हर देश की नीति को समझने के लिए उनकी धरती पर पैर रखना जरुरी हैं और इससे अच्छे बुरे की समझ विकसित होती हैं

मोदी जी के नेत्रत्व में युवाशक्ति को बल मिलता हैं इसलिए आज सबसे अधिक युवावर्ग ही मोदी जी के साथ हैं प्रधामंत्री कौशल विकास योजना जब अपने पैर पसारे की तो संभवत: विकास की और ही आगे बढ़ेगी बड़े-बड़े एवम महंगे डिग्री कोर्स कर पाना बहुत मुश्किल हैं लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग के जरिये अपनी योग्यता को निखारा सभी के लिए संभव होगा और इसमें मिलने वाली लोन सुविधा प्रधामंत्री कौशल विकास योजना की तरफ और भी ध्यान केन्द्रित करेगी

पैसा कमाने के लिए योग्यता का होना जरुरी हैं उसे निखारने के लिए प्रधामंत्री कौशल विकास योजना अपना हाथ बढ़ा चुकी हैं अब तक कई लोग इससे जुड़ चुके हैं अब आप सभी की बारी हैं इस योजना से जुड़कर अपने ज्ञान को उभारें एवम गरीबी से लडे

गरीबी भी एक रोग की तरह हैं इससे लड़ने के लिए प्रधामंत्री कौशल विकास योजना बहुत अहम् फैसला हैं इस दिशा में जागरूक बने और जल्द से जल्द इससे जुड़े

यह योजना आपको कैसी लगी कमेंट जरुर करें साथ ही इससे जुड़े और इसकी जानकारी अपने आस पास के लोगो को भी दे हमारे देश की गरीबी को हटाने के लिए हम सभी को एक जुट होना चाहिये अगर आपको इस तरह की योजना की कोई जरुरत ना भी हो तो इसकी जानकारी जरूरतमंद को जरुर दे

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भारत की ऐसी पहली और एकमात्र संस्था है जिसका मूल उद्देश्य कौशल विकास है और जो निजी तथा सरकारी साझेदारी में काम करने वाली इकाई है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कौशल विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा इस बात के लिए समर्पित है की असंगठित क्षेत्रों को इन प्रयत्नों का पूरा लाभ मिले। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण (2008-09) में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के गठन की घोषणा की थी।

कई बार ऐसा होता है की कुछ इकाइयां कौशल के विकास का प्रयास तो करती हैं परन्तु उनसे फायदा लेने हेतु जो वित्त चाहिए होता है उसकी उनके पास कमी होती है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यह वित्त प्रदान कर उनके लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। निजी तथा सरकारी साझेदारी का एक मॉडल भी तैयार करने में NSDC की बड़ी भूमिका है जिससे निजी इकाईयों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा समर्थन देने तथा उनके साथ समन्वय बिठाने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम 21 भिन्न-भिन्न क्षेत्रों पर एकाकी रूप से ध्यान केन्द्रित करती है जिससे प्रत्येक सेक्टर की क्षमता को समझने तथा उसमे निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

लक्ष्य

उद्योग जगत के साथ समन्वय करते हुए श्रमिकों के कौशल को अन्तराष्ट्रीय स्तर का बनाना तथा कौशल विकास के लिए विषय एवं उनकी गुणवत्ता स्तर को बनाने के लिए मूलभूत ढांचा तैयार करना

निजी क्षेत्र की जो इकाईयां कौशल विकास पर ध्यान दे रहीं हैं उनके साथ समन्वय करना तथा समर्थन देना और ऐसा करते हुए निजी और सरकारी क्षेत्र के समन्वय की एक मिसाल कायम करना। इस बात का भी ध्यान रखना की इस साझेदारी में निजी क्षेत्र का योगदान वित्त तथा क्रियान्यवन दोनों स्तरों पर हो

समाज के पिछड़े वर्गों तथा अविकसित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने का भरपूर प्रयास करना। उल्लिखित क्षेत्रों के साथ- साथ वैसे क्षेत्रों पर भी ध्यान देना जो असंगठित रूप से अपना कार्य कर रहे हैं

बाज़ार के नियंता की भूमिका अदा करना, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ नियंत्रण बिल्कुल नहीं है और अगर है भी तो वो प्रभावकारी नहीं है

उन योजनाओं को प्राथमिकता देना जो उत्प्रेरक का कार्य कर सके ना की सिर्फ अपने आप तक सिमित रहें

ढांचागत व्यवस्था

कम्पनी अधिनियम के धारा 25 के तहत हस्ष्ट वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक ऐसी कम्पनी है जो बगैर लाभ के काम करतीं है। इसकी मूल पूंजी 10 करोड़ रुपये है जिसमे से 49 प्रतिशत शेयर सरकार के पास है तथा 51 प्रतिशत निजी क्षेत्र के पास है।

संपूर्ण पारदर्शिता तथा निर्णय लेने की उच्च क्षमता जैसे मापदंडों पर NSDC खरा उतरे इसके लिए इसे एक स्वायत संस्था के रूप में गठित किया गया है। इसके निर्णय लेने की प्रक्रिया को कई स्तरों पर विभाजित किया गया है जिससे हर निर्णय पूरी तरह से जांचा परखा हो। ये स्तर हैं

राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (NSDF)

उल्लिखित प्रत्येक स्तर की NSDC के क्रियान्यवन में अपनी भूमिका है। इन स्तरों के कार्यकर्ता इस तरह अपनी रणनीति बनाते हैं की हस्ष्ट की मूल निति पूरे प्रभावकारी ढंग से लागू हो। वो इस बात का भी ख्याल रखते हैं की संस्था की लोच बरकरार रहे ताकि निजी क्षेत्रों के कौशल विकास में सहभागिता करने में कोई रुकावट नहीं हो। निदेशल मंडल में 12 सदस्य शामिल होते हैं जिनमे से 4 सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं तथा बाकी 8 निजी क्षेत्र से आते हैं जिनमे चेयरमैन का पद भी शामिल है। NSDC के निर्णायक स्तरों में एक प्रमुख स्तर है NSDC जिसके 100 प्रतिशत स्वामित्व सरकार के पास हैं और यह पूर्णतया पेशेवर प्रबंधकों द्वारा संचालित

होती है। इस वजह से यह फायदा होता है की NSDC अपने मूल विचार से विचलित नहीं होती।

संदर्भ :-

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का जालघर

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना- युवा सशक्तिकरण की नई दिशा

सरकार ने कौशल विकास, उद्यमशीलता के लिये नीति को मंजूरी दी (प्रभासाक्षी; 2 जुलाई 2015)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (समसामयिक घटनाक्रम)

प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना

नेशनल करियर सर्विस (राष्ट्रीय जीविका सेवा) का जालघर

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

पर्यावरण और प्रदूषण

नीलिमा चटर्जी
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग
शासकीय महाविद्यालय, बरेली (म.प्र.)

प्रदूषण, पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषक पर्यावरण को और जीव–जन्तुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है – हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होनाश, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। वर्तमान समय में पर्यावरणीय अवनयन का यह एक प्रमुख कारण है।

पृथ्वी का वातावरण स्तरीय है। पृथ्वी के नजदीक लगभग 50 कि.मी. ऊँचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर है जिसमें ओजोन स्तर होता है। यह स्तर सूर्यप्रकाश की पारबैंगनी (UV) किरणों को शोषित कर उसे पृथ्वी तक पहुचने से रोकता है। आज ओजोन स्तर का तेजी से विघटन हो रहा है, वातावरण में स्थित क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) गैस के कारण ओजोन स्तर का विघटन हो रहा है।

यह सर्वप्रथम 1980 के वर्ष में नोट किया गया की ओजोन स्तर का विघटन संपूर्ण पृथ्वी के चारों ओर हो रहा है। दक्षिण ध्रुव विस्तारों में ओजोन स्तर का विघटन 40:–50: हुआ है। इस विशाल घटना को ओजोन छिद्र (ओजोन होल) कहतें है। मानव आवास वाले विस्तारों में भी ओजोन छिद्रों के फैलने की संभावना हो सकती है। परंतु यह इस बात पर आधार रखता है कि गैसों की जलवायुकीय परिस्थिति और वातावरण में तैरती अशुध्दियों के अस्तित्व पर है।

ओजोन स्तर के घटने के कारण ध्रुवीय प्रदेशों पर जमा बर्फ पिघलने लगी है तथा मानव को अनेक प्रकार के चर्म रोगों का सामना करना पड़ रहा है। ये रेफ्रिजरेटर और एयरकंडिशनर में से उपयोग में होने वाले फ्रियोन और क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) गैस के कारण उत्पन्न हो रही समस्या है। आज हमारा वातावरण दूषित हो गया है। वाहनों तथा फैक्ट्रीयों से निकलने वाले गैसों के कारण हवा (वायु) प्रदूषित होती है घ मीलों से निकलने वाले कचरे को नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे जल प्रदूषण

होता है द्य लोगों द्वारा कचरा फेंके जाने से भूमि (जमीन) प्रदूषण होता है।

प्रदूषण के प्रकार

प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार निम्नवत हैंरू

वायु प्रदूषणरू–वातावरण में रसायन तथा अन्य सुक्ष्म कणों के मिश्रण को वायु प्रदुषण कहते हैं। सामान्यतः वायु प्रदूषण कार्बन मोनोआक्साइड, सल्फर डाइआक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) और उद्योग और मोटर वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन आक्साइड जैसे प्रदूषको से होता है। धुआँसा वायु प्रदुषण का परिणाम है। धूल और मिट्टी के सूक्ष्म कण सांस के साथ फेफड़ों में पहुंचकर कई बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं।

जल प्रदूषणरू– जल में अनुपचारित घरेलू सीवेज के निर्वहन और क्लोरीन जैसे रासायनिक प्रदूषकों के मिलने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण पौधों और पानी में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक होता है।

भूमि प्रदूषण– ठोस कचरे के फैलने और रासायनिक पदार्थों के रिसाव के कारण भूमि में प्रदूषण फैलता है।

प्रकाश प्रदूषण– यह अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश के कारण होता है।

ध्वनि प्रदूषण– अत्यधिक शोर जिससे हमारी दिनचर्या बाधित हो और सुनने में अप्रिय लगे, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है।

रेडियोधर्मी प्रदूषण– परमाणु उर्जा उत्पादन और परमाणु हथियारों के अनुसंधान, निर्माण और तैनाती के दौरान उत्पन्न होता है।

वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसे अवांछित गैसों, धूल के कणों आदि की उपस्थिति, जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदूषण अर्थात दूषित होना या गन्दा होना। वायु का अवांछित रूप से गन्दा होना अर्थात वायु प्रदूषण द्य

== वायु प्रदूषण के कारण

वायु प्रदूषण के कुछ सामान्य कारण हैंरू

वाहनों से निकलने वाला धुआँ।

औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुँआ तथा रसायन।

आणविक संयत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूल–कण।

जंगलों में पेड़ पौधें के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने

वाला धूआँ।

वायु प्रदूषण का प्रभाव

वायु प्रदूषण हमारे वातावरण तथा हमारे ऊपर अनेक प्रभाव डालता है। उनमें से कुछ निम्नलिखित है

हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पंक्षियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दमा, सर्दी–खाँसी, अँधापन, श्रवण शक्ति का कमजोर होना, त्वचा रोग जैसी बीमारियाँ पैदा होती हैं। लंबे समय के बाद इससे जननिक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और अपनी चरमसीमा पर यह घातक भी हो सकती है।

वायु प्रदूषण से सर्दियों में कोहरा छाया रहता है, जिसका कारण धूएँ तथा मिट्टी के कणों का कोहरे में मिला होना है। इससे प्राकृतिक दृश्यता में कमी आती है तथा आँखों में जलन होती है और साँस लेने में कठिनाई होती है।

ओजोन परत, हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक गैस की परत है। जो हमें सूर्य से आनेवाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। वायु प्रदूषण के कारण जीन अपरिवर्तन, अनुवाशंकीय तथा त्वचा कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं।

वायु प्रदुषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइ आक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस आक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता है, जो कि हानिकारक हैं।

वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा के खतरे बढ़े हैं, क्योंकि बारिश के पानी में सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड आदि जैसी जहरीली गैसों के घुलने की संभावना बढ़ी है। इससे फसलों, पेड़ों, भवनों तथा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुँच सकता है।

ध्वनि की अधिकता के कारण भी प्रदूषण होता है, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण के रूप में जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण का साधारण अर्थ है अवांछित ध्वनि जिससे हम चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। इसका कारण है– रेल इंजन, हवाई जहाज, जनरेटर, टेलीफोन, टेलीविजन, वाहन, लाउडस्पीकर आदि आधुनिक मशीनें। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से श्रवण शक्ति का कमजोर होना, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, उच्चरक्तचाप अथवा स्नायविक, मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न होने लगते हैं। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से स्वाभाविक परेशानियाँ बढ़ जाती है।

जल प्रदूषण

जल प्रदूषण का अर्थ है पानी में अवांछित तथा घातक तत्वों की उपथिति से पानी का दूषित हो जाना, जिससे कि वह पीने योग्य नहीं रहता।

जल प्रदूषण के कारण

जल प्रदूषण के विभिन्न कारण निम्नलिखित है:

मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन।

सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंध्न न होना।

विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी का नदियों, नहरों में विसर्जन।

कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना।

नदियों में कूड़े–कचरे, मानव–शवों और पारम्परिक प्रथाओं का पालन करते हुए उपयोग में आने वाले प्रत्येक घरेलू सामग्री का समीप के जल स्रोत में विसर्जन

जल प्रदूषण के प्रभाव

जल प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव है:

इससे मनुष्य, पशु तथा पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है। इससे टाईफाइड, पीलिया, हैजा, गैस्ट्रिक आदि बीमारियां पैदा होती हैं।

इससे विभिन्न जीव तथा वानस्पतिक प्रजातियों को नुकसान पहुँचता है।

इससे पीने के पानी की कमी बढ़ती है, क्योंकि नदियों, नहरों यहाँ तक कि जमीन के भीतर का पानी भी प्रदूषित हो जाता है।

भूमि प्रदूषण

भूमि प्रदूषण से अभिप्राय जमीन पर जहरीले, अवांछित और अनुपयोगी पदार्थों के भूमि में विसर्जित करने से है, क्योंकि इससे भूमि का निम्नीकरण होता है तथा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। लोगों की भूमि के प्रति बढ़ती लापरवाही के कारण भूमि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है।

भूमि प्रदूषण के कारण

भूमि प्रदूषण के मुख्य कारण हैं

कृषि में उर्वरकों, रसायनों तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग।

औद्योगिक इकाईयों, खानों तथा खादानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन।

भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन।

कागज तथा चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थों का निपटान, जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते।

प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग, जो जमीन में दबकर नहीं गलती।

घरों, होटलों और औद्योगिक इकाईयों द्वारा निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों का निपटान, जिसमें

प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, काँच, सेरामिक, सीमेंट आदि सम्मिलित हैं।

भूमि प्रदूषण का प्रभाव

भूमि प्रदूषण के निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव है:

कृषि योग्य भूमि की कमी

भोज्य पदार्थों के स्रोतों को दूषित करने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक

भूस्खलन से होने वाली हानियाँ

जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि

पर्यावरण प्रदूषण में व्यवसाय की भूमिका

चाहे वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो या भूमि प्रदूषण, सबमें व्यवसाय की भागीदारी होती है। व्यवसाय निम्नलिखित तरीकों से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाता है

उत्पादन इकाईयों से निकलने वाली गैसों और धुएं से,

मशीनों, वाहनों आदि के उपयोग से ध्वनि प्रदूषण के रूप में,

औद्योगिक इकाईयों को स्थापित करने के लिए वनों की कटाई से,

औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण के विकास से,

नदियों तथा नहरों में कचरे तथा हानिकारक पदार्थों के विसर्जन से,

ठोस कचरे को खुली हवा में फेंकने से,

खनन तथा खदान संबंधी गतिविधियों से,

परिवहन के बढ़ते हुए उपयोग से।

पर्यावरण को नियंत्रित करने में व्यवसाय की तीन प्रकार की भूमिका हो सकती है: निवारणात्मक, उपचारात्मक तथा जागरूकता।

निवारणात्मक भूमिका

इसका अर्थ है कि व्यावसायिक इकाईयाँ ऐसा कोई भी कदम न उठाए, जिससे पर्यावरण को और अधिक हानि हो। इसके लिए आवश्यक है कि व्यवसाय सरकार द्वारा लागू किए गए प्रदूषण नियंत्रण संबंधी सभी नियमों का पालन करे। मनुष्यों द्वारा किए जा रहे पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए व्यावसायिक इकाईयों को आगे आना चाहिए।

उपचारात्मक भूमिका

इसका अर्थ है कि व्यावसायिक इकाइयाँ पर्यावरण को पहुँची हानि को संशोधित करने या सुधरने में सहायता करें। साथ ही यदि प्रदूषण को नियंत्रित करना संभव न हो तो उसके निवारण के लिए

उपचारात्मक कदम उठा लेने चाहिए। उदाहरण के लिए वृक्षारोपण य वनरोपण कार्यक्रमद्ध से औद्योगिक इकाईयों के आसपास के वातावरण में वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। व्यवसाय की प्रकृति तथा क्षेत्र

जागरूकता संबंधी भूमिका

इसका अर्थ है लोगों को (कर्मचारियों तथा जनता दोनों को) पर्यावरण प्रदूषण के कारण तथा परिणामों के संबंध में जागरूक बनाएँ, ताकि वे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने की बजाय ऐच्छिक रूप से पर्यावरण की रक्षा कर सकें। उदाहरण के लिए व्यवसाय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करे। आजकल कुछ व्यावसायिक इकाईयां शहरों में पार्कों के विकास तथा रखरखाव की जिम्मेदारियाँ उठा रही हैं, जिससे पता चलता है कि वे पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं।

अपने चारों ओर के परिवेश को हमने इस कदर छेड़ा है कि बात अगर पर्यावरण की उठती है तो प्रदूषण का सवाल अपने आप ही आगे आ जाता है। हर ओर सुनी जाने वाली यह ऐसी श्बेतालदृपचीशीश है जिसमें लाशों को ढोनेवाला कोई एक विक्रम नहीं बल्कि हम सभी हैं और सही उत्तर की प्रतीक्षा में बेताल साथदृसाथ चल रहा है। बात प्रदूषण की उठे, तो लोग सांस्कृतिक या भाषायी प्रदूषण की बात भी करते हैं। सामाजिक मान्यताओं को झकझोड़ने वाली व्यवहारिक प्रदूषण के दायरों का तो कोई आकलन नहीं किंतु पर्यावरण प्रदूषण का क्षेत्र आज बढता ही जा रहा है। मानव एवं सभी प्रकार के जीवन को ढ़ोने वाली पारिस्थितिकीदृतंत्र में हलचल मचानेवाली समस्या और प्रदूषण के व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं–

जलीय, स्थलीय एवं आकाशीय क्षेत्र में निवास करनेवाले जैव तथा पादप समुदाय और निर्जीव वातावरण के बीच स्थापित परस्पर संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। समूचे पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न तत्वों के बीच अनादि काल से एक प्रकार का संतुलन स्थापित है और जब भी यह संतुलन बिगड़ा है तो विनाश की स्थिति सामने आयी है। ष्अस्तित्व के लिए संघर्षकृसर्वोत्तम का चुनावष् के सिद्धांत पर ही प्रकृति का सारा खेल टिका है। जैविक संसार में होनेवाली स्वभाविक सत्ता संघर्ष के अतिरिक्त मानव जाति ने आज अपनी आवश्यकताओं, वैज्ञानिक खोजों या मनोरंजन के लिए पारिस्थतिकी तंत्र में गहरी छेड़छाड़ की है। जीवदृजंतुओं की कई प्रजातियां आज या तो लुप्त हो गई है या लुप्तप्राय है। ष्रेड बुक ऑफ वाइल्डष् के अनुसार 1600 ई0 से 1990 ई0 के बीच 36 स्तनधारियों और 94 पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई है जबकि स्तनधारियों की 236 प्रजातियां तथा पक्षियों की 287 प्रजातियां आज लुप्त होने के कगार पर है। पारिस्थितिकी का आधारभूत सिद्धांत यह है कि यदि प्राणियों के 90ः आवास नष्ट हो जाए तो उनमें बसनेवाली 50ः जैव प्रजातियां स्वतः विलुप्त हो जाएंगी। इस सिद्धांत

और उष्ण कटिबंधीय वनों के विनाश की दर के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि उष्ण कटिबंधीय वनों में निवास करनेवाली 5दृ15७ जीवों की प्रजातियां आनेवाले वर्षों में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। स्थलीय विविधता, सक्रिय जलवायु, लंबे सागर तट तथा अनेक समुद्री द्वीपों के चलते प्रकृति ने जैव और पादप विविधता के मामले में भारतीय उपमहाद्वीप को विशेष रूप से संवारा है। धरती के चार जैव भौगोलिक परिमंडलों में से तीन पराध्रुवतटीय, अफ्रीकी और इन्डोदृहिमालयन क्षेत्र भारत में पड़ते हैं। विश्व के किसी भी राष्ट्र में दो से अधिक परिमंडलों के क्षेत्र नहीं मिलते। भारतीय भूमि क्षेत्र में निवास करनेवाली जीवदृजंतुओं की कुछ शानदार प्रजातियां जैसे बाघ, तेंदुआ, एशियाई सिंह, हाथी, हिम तेंदुआ, सुनहरा लंगूर, सिंह पुच्छी बंदर, गंगेय डॉलफिन, हंगुल, दलदली हिरण, जंगली गदहा, घड़ियाल, सोन चिड़िया, सफेद पंखों वाली जंगली बतख आदि आज संकटग्रस्त जीव जंतुओं की श्रेणी में हैं। शेर, बाघ, हाथी, मृग या कछुए जैसे वन्य जीवों के विभिन्न अंगों का अंतराष्ट्रीय बाजारों में ऊंची कीमत गरीब देशों में अवैध कारोबार को बढ़ावा देती है। सख्त सरकारी कानूनों के अतिरिक्त वन संपदा के प्रति हमारी मानवीय चेतना की जागरूकता इस दिशा में कारगर सिद्ध हो सकती है। वनस्पति जगत के बिना प्राणी जीवन की कल्पना ही संभव नहीं। जंगली पशुदृपक्षियों की तो छोड़िए, आदिमानव युग से लेकर आज तक भी आदिवासी जीवन का तानाबाना वनस्पतियों के साथ जुड़ा है। ये तो बाजारू संस्कृति में जीनेवाले तथाकथित सभ्य समाज में रहनेवाले लोग हैं, जो दिनभर की अपनी दिनचर्या में पर्यावरण के लिए जहर छोड़ने के बाद शाम को किसी रेस्तरां में रखे बोंसाई के बगल में बैठकर कारखानों में हो रहे उत्पादन पर चर्चा करते हैं।

जल प्रदूषण:

ष्जल ही जीवन है॰ वाली कहावत और इसकी सच्चाई में अगर हम विश्वास करते हों तो जलीय पर्यावरण की पवित्रता का दायित्व भी हमारा ही है। पिछले दशकों में विश्व की जनसंख्या में हुई भारी वृद्धि, शहरी जीवन जीने के प्रति ललक तथा विकास के नाम पर जल में बहाई जानेवाली गंदगी की नालियों को साफ करने की जिम्मेदारी सरकार पर छोड़कर निश्चिंत हो लेते हैं। नतीजतन, समुद्री जल का बहुत बड़ा भाग और विश्व की लगभग सभी नदियां आज जीव संसार के लिए जीवन की तरलता नहीं बल्कि मौत की कठोरता लेकर बह रही है। भारत में अगर आप कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी या पटना जैसी लाखों की आबादी वाले शहर के निवासी हैं तो अब भी क्या आपका मन गंगा स्नान के लिए तरसता है? दिल्ली, आगरा या मथुरा जैसी जगहों पर अगर यमुना नदी को देख लें तो आप क्या विश्वास कर पाएंगे कि पुरानदृकाल से ही नदियों की प्रशंसा में श्लोकों की रचना करनेवाले भरतदृवंशियों ने ही पावन यमुना की ऐसी दुर्दशा की है? किसी भी जल में जीवन की संभावना होने के लिए

उसमें घुले आक्सीजन की कम से कम मात्रा 5 मिलीग्राम्र लीटर होने चाहिए, जबकि दिल्ली में किए गए एक नमूना परीक्षण के दौरान कई जगहों पर यमुना के जल में आक्सीजन पाया ही नहीं गया। वायुमंडलीय प्रदूषण या पर्ववतीय पर्यटकों द्वारा फैलाई जाने वाली गंदगी का असर यह है कि पतित पावनी गंगा या यमुना नदी का उद्गम स्थल ही अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर सैय्यद इकबाल हसन के बात पर विश्वास करें तो गंगोत्री ग्लेशियर के लगातार पीछे हटने से अगले 125 वर्षों में गंगा सूख सकती है। नदियों के सीमित जल को छोड़िए, यह आम मान्यता है कि अथाह जल राशि के चलते समुद्री जल को प्रदूषित करना संभव नहीं है। जबकि हालत यह है कि तैलीय रिसाव, विषैले रसायनों तथा रासायनिक एवं परमाणु कचड़ों के छोड़े जाने से समुद्र भी अब प्रदूषित हो चला है। सागर में रहने वाली मछलियां तथा अन्य कई दुर्लभ जीवों का जीवन आज संकट की ओर है। समुद्री प्रदूषण फैलाने में विकसित राष्ट्र सबसे अग्रणी हैं। भूगर्भीय जल का अत्यधिक दोहन तथा प्रदूषण भी विश्व के अधिकांश देशों के लिए एक भयंकर समस्या है। पेय जल या सिंचाई के लिए निकाले गए भूमिगत जल की उच्च दर ने भूगर्भीय जल स्तर को काफी नीचे लाकर मरूस्थलीकरण की संभावना को बढावा दिया है।

रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का कृषि में अत्यधिक प्रयोग ने स्थलीय एवं भूगर्भीय जल को सीधे तौर पर प्रदूषित करते हैं। कई स्थानों पर प्रदूषित भूमिगत जल में पाई जाने वाली लोहे, आर्सेनिक या सेलेनियम की अधिक मात्रा विभिन्न प्रकार के बिमारियों का कारण है। मौनसूनी वर्षा से जल पानेवाले भारत जैसे देशों में वर्षा जल का उपयोग एवं संग्रहन के बजाए बहुमूल्य भूगर्भीय जल स्त्रोत का खतरनाक तरीके से दोहन होने से उस क्षेत्र के कुएं, तालाब, जलाशय और अन्य जलीय स्त्रोत सूख रहे हैं। जलीय भाग से जुड़ी एक अन्य समस्या, जिसे प्रदूषण तो नहीं कह सकते लेकिन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मानवीय आवश्यकताओं के लिए किए जाने वाले प्रयासों के फलस्वरूप उत्पन्न होती है वह हैदृ झीलों एवं जलाशयों में गाद भरने तथा अतिक्रमण के चलते जलग्रहण क्षमता का नुकसान। दुनिया के अधिकांश देशों ने शहरी जरूरतों या जल विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक झीलों का दोहन अथवा कृत्रिम जलाशयों का निर्माण किया है। तलछट के लगातार भरने से ये जलीय भाग न सिर्फ अपने उद्देश्यों को पुरा करने में विफल हैं बल्कि नदी या झील पर आधारित समूची स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र इससे प्रभावित हैं।

हानिकारक गैसों, अतिसूक्ष्म धूलकण या सूक्ष्मरूप से विसरित तरल पदार्थों ह्यऐरोसोलद्ध का वायुमंडल में उसके अपसरन की दर से ज्यादा मात्रा में छोड़ा जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य

संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसके बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचानेवाले तत्व सघन रूप में एकत्रित हो जाते हैं। मानवीय छेड़छाड़ या प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर इसका विस्तार स्थानीय, क्षेत्रीय, महादेशीय अथवा ग्लोबल रूप में हो सकता है। जैविक या अजैविक पारिस्थिकी पर विषाक्त प्रभाव छोड़ने में वायु प्रदूषण का स्थान संभवतः सबसे महत्वपूर्ण है। कैंसर, अस्थमा और सांस की अन्य बिमारियों से लेकर अम्लीय वर्षा के चलते ऐतिहासिक इमारतों और मूर्तियों का क्षय, फसल एवं जंगलों की बर्बादी या जलीय प्रदूषण तक में वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा के लिए तो श्करे कोई और भुगते कोईश वाली कहावत चरितार्थ है। किसी एक जगह पर कारखानों या मोटरगाड़ियों से निकला धुंआ, दूसरे जगह गंधकाम्ल या नाईट्रिक अम्ल की वर्षा के रूप में पेड़दृपौधों या ताजमहल जैसी धरोहर पर बरस कर अपना कहर बरपा जाता है। महानगरों में बीत रही आपकी जिंदगी की हर सांस मौत का सुर सुनाती है।

हालात यही रहे तो वह दिन दूर नहीं जब बाजार से शुद्ध ऑक्सीजन का पैकेट लेकर हम सांस लेते फिरेंगे। कुछ वर्ष पूर्व क्या हम यह सोचते थे कि पानी खरीद कर पीना पडेगा? प्रदूषण के एक महत्वपूर्ण कारक तत्व क्लोरोफ्लोरो कार्बन ह्यसीएफसीह्न की वायुमंडल में मौजूदगी का एक खतरनाक नतीजा ओजोन परत में कमी और फलस्वरूप पराबैंगनी विकिरणों से धरती की सुरक्षा कवच का टूटना है। ऐसा अनुमान है कि प्रकृति ने वायुमंडल की दूसरी परत में ओजोन गैसों के रूप में जीवधारियों के लिए जो रक्षात्मक आवरण दिया है उसका दस प्रतिशत इस सदी के अंत तक नष्ट हो जाएगा। पिछले 40 वर्षों में पृथ्वी के वायुमंडलीय तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है और ऐसा अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में यह तापवृद्धि 4 से 5 डिग्री तक हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंगश का यह पहलू इसलिए अतिमहत्वपूर्ण है कि इतनी तापवृद्धि से पृथ्वी का सूक्ष्म तापीय समीकरण बिगड़ेगा और यह जैविक संतुलन की स्थायी रचना को छिन्न भिन्न कर देगी। उदाहरणस्वरूप, ध्रुवों पर स्थायी रूप से जमी बर्फ पिघलेगी, समुद्रतल ऊंचा उठेगा और समुद्रतटीय शहर या महानगर जलमग्न हो जाएंगे। न्यूयार्क, ओस्लो या मुंबई जैसे शहर में बैठकर आप यह लेख पढ रहे हों तो भी भयभीत न होंघ वर्तमान स्थिति की गंभीरता के प्रति समझ और पर्यावरण के प्रति चेतना निरंतर नए शोध और निषेधक उपायों को अंजाम दे सकेगी। आइए, मिलकर प्रार्थना करें। हे मारूत नंदन, हमारे पापों से तू हम सबकी रक्षा कर।

स्थल एवं मृदा प्रदूषणः

समाज के विकास की घड़ी की सूईयों को थोड़ा पीछे की ओर घुमा कर देखें तो कुछ दशक पूर्व श्स्थल प्रदूषणश का कहीं कोई नामोदृनिशान नहीं था। औद्योगिक कचड़ों तथा प्लास्टिक कहे जाने चमत्कारिक

वैज्ञानिक खोज ने अपना यह जलवा दिखलाया है कि शहर की कौन पूछे आज गांव में भी आप चले जाएं तो स्थल प्रदूषण की बानगी दिखाई दे जाएगी। टीन के डब्बे, प्लास्टिक, कागज, सीसे की बनी छोटी वस्तुओं से लेकर लोहे की बनी कार या ट्रक तक के कचड़ों का एक स्थान पर जमाव या बिखराव ने भूमि प्रदूषण कर जो दृश्य उत्पन्न किया है उसे देखकर निश्चय ही आप सहज नहीं महसूस कर सकते। वैसी सभी वस्तुएं जिनका कार्बनिक या अकार्बनिक तरीके से सरल तत्वों में शीघ्र अपक्षय नहीं हो सकता, भूमि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। भूमि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार तत्वों का पुर्ननवीकरण के बजाए कोई भी तरीका पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं। समुद्र में इन कचड़ों को डालने पर जलीय प्रदूषण के साथदृसाथ समुद्री जीवों का आवास नष्ट होता है जबकि स्थल पर किसी निम्न भूमि प्रदेश, जो ज्यादातर दलदली भाग होते हैं, छोड़ने से उनमें रहनेवाले विशिष्ट किस्म के जीवों का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं।

प्लास्टिक, कागज या अन्य संम्मिश्र प्रकार के कूड़े को जलाने पर वायु प्रदूषण होता है। स्थलीय प्रदूषण से मिलता जुलता एक अन्य विकार जो शायद उससे कहीं घातक है, वह हैदृ मृदा प्रदूषण। हरित क्रांति या उन्नत पैदावार के लिए अपनाई गई श्रासायनिक कृषिश मिट्टी की उर्वरता को बढाने के बजाए उसे स्थाई तौर पर बर्बाद कर रही है। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में मिट्टी एक महत्वपूर्ण और जीवंत इकाई है। एक ग्राम उपजाऊ मिट्टी में लगभग 10 करोड़ जीवाणु और 500 मीटर के बराबर कवक के धागे होते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा तंत्र हजारों प्रकार की शैवाल कोशिकाएं, विषाणु, आर्थोपोड एवं केंचुआ जैसे अन्य जीवों की शरण स्थली भी है। मिट्टी के पोषण शक्ति को बढाने के लिए रासायनों, कीटनाशकों एवं जहरीले तत्वों का होनेवाला प्रयोग आहार चक्र के माध्यम से जानवरों एवं मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। उपजाऊ भूमि पर हो रहे नित्य नये निर्माण तथा वनों की कटाई से बाढ तथा मृदाक्षरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। जनसंख्या वृद्धि के साथ बढी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1960 के दशक में कृषि भूमि पर जापान में 7 3७ से लेकर नार्वे में 1 5७ की दर से नई आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया। भारत में, जहां एशिया की कुल आबादी का लगभग 27७ लोग निवास करते हैं, कृषि योग्य भूमि का स्थाई संरचनाओं से ढंका जाना तथा मृदा क्षरण दोनों की तेज दर है। भूक्षरण स्वयं ही भूमि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। 10 सेंटीमीटर ऊपरी मृदा के बनने में 100 से 400 वर्ष का समय लगता है इसलिए मिट्टी का नष्ट होना एक प्रकार से सीमित और अनवीनीकरण संपदा का नुकसान है।

ओह, मैं तो सिर्फ धरती मां की दुर्दशा पर ही चर्चा किए जा रहा हूं। क्या आप चिड़चिड़ापन, सिरदृ दर्द, बहरापन, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव, नींद न आने की शिकायतों से परेशान हैं? अगर हां, तो

नीचे का हिस्सा पढिए इलाज ढूंढने में शायद कोई मदद मिले।

ध्वनि प्रदूषणः

शहरी या औद्योगिक संस्कृति की एक अनचाही देन ध्वनि प्रदूषण है। मनुष्य या जानवरों को मानसिक या शारीरिक रूप से आघात पहुंचानेवाली किसी भी प्रकार के अनचाही और हानिकारक आवाज से संपर्क ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण वास्तव में एक गुणात्मक तथा मात्रात्मक पद है। मात्रात्मक रूप में ध्वनि प्रदूषण को उसके दबाव, उच्चता अथवा तारत्व के आधार पर श्डेसिबेलश इकाई में मापा जाता है और इसकी गणना लघुगणक आधार पर की जाती है। ध्वनि का 10 डेसिबेल से 20 डेसिबेल तक के स्तर की वृद्धि वास्तव में 100 गुना वृद्धि है। ध्वनि प्रदूषण का गुणात्मक स्वरूप का संबंध स्त्रोता की भाषाई समझ अथवा ध्वनि की कर्णप्रियता से है। आप अगर हिंदीभाषी हैं और मैं चीनी या जापानी में बात करने लगूं तो आप अपना सिर पीट लेंगे। हिंदुस्तानी अथवा कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत के लिए आप अगर स्नेहभाव नहीं रखते तो पंडित भीमसेन जोशी से लेकर उस्ताद फहीमुद्दीन दागर तक का नाद स्वर आपको कर्णकटु लगेंगे। शादी के कुछ वर्ष आप अगर गुजार चुके हों, तो कभी संगीत की मधुर तान सुनाई देने वाली पत्नी की बोली में आपको उच्च डेसीबेल स्तर के ध्वनि प्रदूषण का गुणात्मक स्वरूप की झलक मिल जाएगी। खैर, विज्ञान में ध्वनि प्रदूषण के साहित्यिक पहलू का कोई खास महत्व नहीं लेकिन किसी भी प्रकार के ध्वनि का मान अगर 50 डेसीबेल से ऊपर हो जाए तो मानवीय स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसे ध्वनि प्रदूषण की स्थिति समझी जाती है। व्यस्त यातायात या कारखानों से निकली आवाज 90 डेसीबेल स्तर की होती है। इस स्तर की ध्वनि का लगातार सुना जाना कान के श्रवण तंत्र को असंवेदनशील बना देता है और व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। उच्च ध्वनि स्तर वाले स्थानों पर काम करने वाले लोगों में अनिद्रा, क्षीण श्रवण शक्ति, उच्च रक्तचाप या तंत्रिका तंत्र संबंधी बिमारियां पाई जाती है। औद्योगिकीकरण से ऊपजी इस बला को कम शोर करनेवाली मशीनों का प्रयोग, कार्यस्थल पर श्इयरप्लगश जैसी ध्वनिरोधक यंत्रों का इस्तेमाल तथा दिवाल में ध्वनि शोषक पदार्थों का उपयोग कर काफी हद तक टाला जा सकता है।

अपने जलवायु एवं परिवेश को दूषित कर हम शांत जीवन की तलाश में पहाड़ों की ओर भागते हैं लेकिन अब तो वहां भी स्वच्छ वायु, निर्मल जल और खामोशी की अनुगूंज वाली बात बेमानी लगती है। विश्वग्राम और विकास के नाम पर फैलाई गई गंदगी का प्रभाव अब स्थानीय नहीं बल्कि ग्लोबल हो गया है। अविकसित या अर्धविकसित राष्ट्र ज्यादा औद्योगीकरण किए बिना भी प्रदूषण के शिकार हैं। पिछले दशकों में अपनी विकास प्रक्रिया को तेज गति देकर विकसित देशों ने वायुमंडल में विषैली गैसों का गुबार छोड़ा और जब परिणाम सामने आने लगा तो हाय तौबा मचाना शुरू किया। जवाब

में विकासशील देशों का तर्क यह ठहरा कि मुझे भी उतना ही आगे आने दो फिर पर्यावरण संरक्षण की बात सोचेंगे। विकसित देश अब उपदेशक हो गए हैं लेकिन पर्यावरण को किए गए नुकसान की भरपाई के लिए किए जानेवाले प्रयासों के प्रति अपनी महती जिम्मेदारी मानने से भी पीछे भागते हैं। पर्यावरण के लिए आई अंतर्राष्ट्रीय चेतना के बावजूद आज भी अविकसित या अल्पदृविकसित देशों की बड़ी जनसंख्या कम आबादी वाले औद्योगिकृत राष्ट्रों द्वारा फैलाए जा रहे परमाण्विक, वायुमंडलीय या स्थलीय प्रदूषण की सजा भोगने को अभिशप्त है। जो भी हो, विकसित देशों पर दोषारोपण कर अविकसित राष्ट्र अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। प्रदूषण की समस्या न ही एक दिन में पैदा हुई है और न एक दिन में खत्म होनेवाली। पारिस्थितिकी के प्रश्न की डिबिया खुलने पर कोई जिन्न नहीं आनेवाला जो ष्क्या हुक्म है आका?ष कहकर पलक झपकते ही समस्याओं को सुलझा दे और हम चौन की नींद सो जाएं। पर्यावरण सुधार के लिए अगर समुचित प्रयास में हम विफल रहते हैं तो इससे अच्छा है कि ष्आ अब लौट चलेंष वाले नारे को बुलंद करें।

संदर्भ :–

"Pollution - Definition from the Merriam-Webster Online Dictionary". Merriam-webster.com. 2010-08-13. Retrieved 2010-08-26.

Spengler, John D.; Sexton, K. A. (1983). "Indoor Air Pollution: A Public Health Perspective". Science. 221 (4605): 9–17 [p. 9]. doi:10.1126/science.6857273.

Hong, Sungmin; et al. (1996). "History of Ancient Copper Smelting Pollution During Roman and Medieval Times Recorded in Greenland Ice". Science. 272 (5259): 246–249 [p. 248]. doi:10.1126/science.272.5259.246.

David Urbinato (Summer 1994). "London's Historic "Pea-Soupers"". United States Environmental Protection Agency. Retrieved 2006-08-02.

"Deadly Smog". PBS. 2003-01-17. Retrieved 2006-08-02.

Lee Jackson, Dirty Old London: The Victorian Fight Against Filth (2014)

Cited in David Clay Large, Berlin (2000) pp 17-18

Hugh Chisholm (1910). The Encyclopaedia Britannica: A Dictionary of Arts, Sciences, Literature and General Information. Encyclopaedia Britannica, 11th edition. p. 786.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

बाल-श्रम एक अध्ययन

कविता रायकवार
प्राचार्य,
भोपाल डिग्री कालेज, भोपाल

बच्चों को हमेशा भगवान (सर्वशक्तिमान) के बाद सबसे पवित्र रुप माना जाता है जो हमेशा खुशी, मस्ती, मासूमियत और आशा जगाने का प्रयास करने वाले समझे जाते हैं। एक देश के भविष्य का निर्धारण इस आधार पर होता है कि किस तरह से उस देश में बच्चों और महिलाओं के साथ व्यवहार होता है, आखिरकार, बच्चें आशा की किरण होते हैं, एक मजबूती की आशा, न केवल देश की अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि देश के कुशल मानव संसाधनों के साथ जिनकी पहुंच भारत में शिक्षा के सिद्धांतों के साथ युग्मित अस्तित्व के लिए आवश्यक आधारभूत सुख–सुविधाओं पर हो, के लिये भी बहुत जरुरी है। ये प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है कि वो देश के लिये सुनिश्चित करे कि हमारे बच्चों का बचपन सुरक्षित है और दूषित नहीं हो रहा है, उदाहरण के लिये जैसे बाल श्रम जो गरीबी और लाचारी के कारण पैदा होता है।

बाल श्रम या बाल मजदूरी क्या है

बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है। बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक घटना है।

जहां तक भारत का संबंध है, ये मुद्दा बहुत ही पेचीदा है क्योंकि भारत में बच्चे पुराने समय से ही अपना माता–पिता के साथ खेतों में और अन्य प्रारम्भिक कार्यों में मदद कराते हैं। एक इससे ही संबंधित अन्य अवधारणा जिसकी इस समय व्याख्या करने की जरुरत है, वो है बंधुआ मजदूरी, जो शोषण का सबसे सामान्य रुप है। बंधुआ मजदूरी का अर्थ, माता–पिता द्वारा अत्यधिक ब्याज की दरों की अदायेगी के कारण, कर्ज के भुगतान के लिये बच्चों को मजदूरों के रुप में कार्य करने के लिये मजबूर करना है। बंधुआ मजदूर की अवधारणा से जुड़ी अवधारणा शहरी बाल मजदूर अवधारणा है जहां मजदूर गली के बच्चे होते हैं जो अपना लगभग पूरा बचपन गलियों में मजदूरी करते हुये व्यतीत कर देते हैं।

यूनीसेफ ने बाल मजदूरी को 3 श्रेणी में विभाजित किया है

परिवार के साथ – बच्चे घर के कार्यों में बिना किसी वेतन के लगे होते हैं।

परिवार के साथ पर घर के बाहर–उदाहरण के लिए, कृषि मजदूर,घरेलू मजदूर, सीमान्त मजदूर आदि।

परिवार से बाहर – उदाहरण के रुप में, व्यवसायिक दुकानों जैसेरू होटलों में बच्चों से कार्य कराना, चाय बेचने का कार्य कराना, वैश्यावृति आदि।

बाल मजदूरी के बढ़ने के कारण

अत्यधिक जनसंख्या, अशिंक्षा, गरीबी, ऋण जाल आदि सामान्य कारण हैं जो इस मुद्दे के प्रमुख यंत्र है।

अत्यधिक ऋण जाल से ग्रस्त माता–पिता, सामान्य बचपन के महत्व को अपनी परेशानियों के दबावं के कारण समझने में असफल होते हैं और इस प्रकार ये बच्चों के मस्तिष्क का घटिया भावनात्मक और मानसिक संतुलन को नेतृत्व करता है जो कठिन क्षेत्रों या घरेलू कार्यों को करने के लिये तैयार नहीं होते।

राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भी कपड़ों के उद्योग में अधिक काम और कम वेतन के भुगतान के लिये बच्चों को भर्ती करती है जो बिल्कुल अनैतिक है।

भारत में बाल श्रम कानून

भारत में बाल मजदूरी की समस्या सभी के लिये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही एक चिन्ता का विषय बन गयी है। भारत के संविधान की प्रारुप समिति इस संबंध में बिना किसी अन्य देश की सिफारिशों के आधार पर, अपने दम पर कानून तैयार करना चाहती थी। जिस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के शोषण के अधीन था, उसने केवल यही बोध कराया कि प्रावधान शोषणकारी मजदूरी के रुप को ध्यान में रखकर बनाये गये है और भारत शोषणकारी नृशंस शासन व्यवस्था के बीच है।

भारत में बाल मजदूरी को रोकने के लिये बनायें गये प्रारम्भिक कानून जब बना तब बाल रोजगार अधिनियम 1938 पारित हुआ। ये अधिनियम बड़े दुखान्त अंत के साथ असफल हुआ। इसके असफल होने का सबसे बड़ा कारण गरीबी का होना था क्योंकि निर्धनता बच्चों को मजदूरी करने के लिये मजबूर करती है।

भारतीय संसद ने बाल श्रम या मजदूरी से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये समय–समय पर कानून और अधिनियम पारित किये हैं। 14 साल की आयु से कम के बच्चों को किसी फैक्ट्री या खदानों में या खतरनाक रोजगारों (जहाँ जान जाने का ज्यादा जोखिम हो) में बाल मजदूरी को निषेध करने के लिये हमारे संविधान में अनुच्छेद 24 के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों को स्थापित किया गया है।

इसके अलावा, अनुच्छेद 21 को अन्तर्गत, ये भी प्रावधान किया गया है कि, एक राज्य 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा के लिये सभी आधारिक संरचना और संसाधन उपलब्ध करायेगा। संविधान के तहत बच्चों की बाल श्रम से सुरक्षा का नियमन करने के वाले कानूनों का एक समूह मौजूद है। कारखाना अधिनियम 1948, 14 साल तक की आयु वाले बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकता है। खदान अधिनियम 1986, 18 साल से कम आयु वाले बच्चों का खदानों में काम करना निषेध करता है। बाल श्रम अधिनियम (निषेध एवं नियमन) 1986, 14 साल से कम आयु वाले बच्चों को जीवन को जोखिम में डालने वाले व्यवसायों में, जिन्हें कानून द्वारा निर्धारित की गयी सूची में शामिल किया गया है, में काम करना निषेध करता है। इसके अलावा, बच्चों का किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 ने बच्चों के रोजगार को एक दंडनीय अपराध बना दिया है।

आलोचनात्मक दृष्टि से, कानूनों की विशाल सारणी के बावजूद, बाल मजदूरों और नियोक्ताओं की कार्यकारी स्थितियों में कोई सुधार नहीं दिखायी देता है साथ ही बाल श्रम को निषेध करने वाले अधिनियम के प्रावधानों का स्वतंत्र रुप से उल्लंघन किया जा रहा है।

इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि, इन प्रवाधनों का अतिक्रमण का अर्थ बुनियादी मानव अधिकारों का अभाव और बच्चों के बचपन को अर्थरहित करना है। बच्चे कहाँ और किस प्रकार के रोजगार के अन्तर्गत कार्य कर सकते हैं, के रुप में ये कानून अधिक स्पष्ट नहीं है। ये अधिनियम केवल 10: कार्यशील बच्चों को सुरक्षित करता है और इस प्रकार गैर–संगठित क्षेत्रों में लागू नहीं होता।

ये अधिनियम बाल मजदूर के परिवार को इस आधार पर भी छूट देता है यदि वो सभी बच्चों के रूप में एक ही कर्मचारी के साथ काम कर रहे हैं। यद्यपि, ये अधिनियम कुछ निश्चित जोखिम वाले उद्योगो और कारखानों में बच्चों के काम करने को निषेध करता है, लेकिन साथ ही ये खतरनाक कार्यों की व्याख्या नहीं करता। ये केवल खतरनाक रोजगारों की एक सूची प्रदान करता है।

बाल मजदूरी से लड़ने में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका

बाल मजदूरा के उन्मूलन पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आई.पी.ई.सी.एल.), अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के अन्तर्गत 1991 में, बाल मजदूरी के बारे में जागरुकता का निर्माण एक वैश्विक मुद्दे के रुप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग करके, बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिये शुरु किया गया था। भारत बाल श्रम का मुकाबला करने में मदद करने के लिए आई.पी.ई.सी.एल. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राष्ट्र था।

राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम (एन.सी.एल.पी.), उन मुख्य कार्यक्रमों में से एक है जो पूरे देश में शुरु किया गया था जिसमें वर्ष 1988 में, साँत बाल श्रम कार्यक्रम शुरु किये गये थे। पुर्नवास, भारत सरकार द्वारा, भारत

में बाल श्रम की घटनाओं को कम करने के लिये अपनायी गयी प्रमुख नीतियों में से एक है। दुर्भाग्य से, संबंधित प्राधिकरण बाल श्रम के बढते हुये मामलों को नियंत्रित करने में बहुत से कारणों से असक्षम है। वो बच्चों के जन्म प्रमाण पत्रों के अभाव और जाली प्रमाण पत्रों के कारण बच्चों की सही आयु का अनुमान लगाने में असफल होते हैं। लोगों के बीच में जागरुकता लाने के लिये अधिक प्रयास नहीं किये गये हैं। यहाँ तक कि, यदि प्रयास बनाये भी गये हैं तो, वो सीमित जनसंख्या की जरुरत को पूरा करते हैं और अधिकारियों के बीच सहनशीलता दिखायी नहीं देती। जागरुकता कार्यक्रमों के संचालन के दौरान बहुत अधिक शिथिलता को देखा जा सकता है। इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर संबोधित करने के लिये समय समय पर कड़े नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता अभी भी है।

बाल मजदूरी का कैसे उन्मूलन करें

बच्चों के अवैध व्यापार का अंत, गरीबी का उन्मूलन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, और जीने का सामान्य स्तर, बड़े स्तर पर समस्या को कम कर सकता है। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, गरीबी के उन्मूलन के लिये विकासशील देशों को ऋण प्रदान करके मदद करते हैं।

दलों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा शोषण को रोकने के लिये श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन करना बहुत आवश्यक है। वर्तमान बाल श्रम निषेध कानूनों को कड़ाई से लागू करके स्थिति को नियंत्रित करने के लिये बहुत से संशोधनों की आवश्यकता है। निम्नतन सीमा 14 साल को कम से कम 18 साल तक बढ़ाने की आवश्यकता है। जोखिम वाले कार्यों की सूची जो वर्तमान में कानून के अन्तर्गत है, उसमें और अधिक व्यवसायों को शामिल करने की आवश्यकता है जिन्हे खतरनाक गतिविधियों के दायरे से बाहर रखा गया है।

बाल–श्रम का मतलब ऐसे कार्य से है जिसमे की कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। इस प्रथा को कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संघटनों ने शोषित करने वाली माना है। अतीत में बाल श्रम का कई प्रकार से उपयोग किया जाता था, लेकिन सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा के साथ औद्योगीकरण, काम करने की स्थिति में परिवर्तन तथा कामगारों श्रम अधिकार और बच्चों अधिकार की अवधारणाओं के चलते इसमे जनविवाद प्रवेश कर गया। बाल श्रम अभी भी कुछ देशों में आम है।

समीक्षा

वेश्यावृत्ति या उत्खनन, कृषि, माता पिता के व्यापार में मदद, अपना स्वयं का लघु व्यवसाय (जैसे खाने पीने की चीजें बेचना), या अन्य छोटे मोटे काम हो सकते हैं कुछ बच्चे पर्यटकों के गाइड के रूप में काम करते हैं, कभी–कभी उन्हें दुकान और रेस्तरां (जहाँ वे वेटर के रूप में भी काम करते हैं) के काम में लगा दिया जाता है। अन्य बच्चों से बलपूर्वक परिश्रम–साध्य और दोहराव वाले काम लेते हैं जैसे

रूबक्से को बनाना, जूते पॉलिश, स्टोर के उत्पादों को भंडारण करना और साफ–सफाई करना. हालांकि, कारखानों और मिठाई की दूकान, के अलावा अधिकांश बच्चे अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे ष्सड़कों पर कई चीजें बेचना, पटाकों के कारखानों में, कृषि में काम करना या ख्बच्चों का घरेलू कार्यद्यघरों में छिप कर काम करना, – ये कार्य सरकारी श्रम निरीक्षकों और मीडिया की जांच की पहुँच से दूर रहते है। ष्और ये सभी काम सभी प्रकार के मौसम में तथा न्यूनतम वेतन के लिए किया गया था यूनिसेफ के अनुसार, दुनिया में लगभग २.५ करोड बच्चे, जिनकी आयु २–१७ साल के बीच है वे बाल–श्रम में लिप्त हैं, जबकि इसमें घरेलू श्रम शामिल नही है। सबसे व्यापक अस्वीकार कर देने वाले बाल–श्रम के रूप हैं जिनमें ख्बच्चों का सैन्य उपयोगद्यबच्चों के सैन्य उपयोग, साथ ही बाल वेश्यावृत्ति शामिल है। कम विवादास्पद और कुछ प्रतिबंधों के साथ कानूनी रूप से मान्य कुछ काम है जैसे बाल अभिनेता और बाल गायक, साथ ही साथ स्कूलवर्ष (सीजनल कार्य) के बाद का कार्य और अपन कोई व्यापार जो स्कूल के घंटों के बाद होने काम आदि शामिल है।

बच्चों के अधिकार

यह अनुचित या शोषित माना जाता है यदि निश्चित उम्र से कम में कोई बच्चा घर के काम या स्कूल के काम को छोड़कर कोई अन्य काम करता है। किसी भी नियोक्ता को एक निश्चित आयु से कम के बच्चे को किराए पर रखने की अनुमति नहीं है। न्यूनतम आयु देश पर निर्भर करता हैय जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बाल श्रम कानून ने किसी प्रतिष्ठान में बिना माता पिता की सहमति के न्यूनतम उम्र १६ वर्ष निर्धारित किया है।

औद्योगिक क्रांति में चार साल के कम उम्र के बच्चों को कई बार घातक और खतरनाक काम की स्थितियों के साथ उत्पादन वाले कारखाने में कार्यरत थे। अंग्रेजी श्रमिक वर्ग का बनना , (पेंगुइन, १६८), पीपी. अब अमीर देशों ने मजदूरों के रूप में बच्चों के इस्तेमाल को समझा है और इस आधार पर इसे मानव अधिकार का उल्लंघन माना हैं और इसे गैरकानूनी घोषित किया है जबकि कुछ गरीब देशों ने इसे बर्दाश्त या अनुमति दिया है।

१६६० के दशक में दुनिया के प्रत्येक देश ने सोमालिया और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर बाल अधिकार के सम्मेलन, . के दौरान हस्ताक्षर किए, सबसे ताकतवर अंतरराष्ट्रीय कानूनी भाषा है जो अवैध बाल श्रम पर रोक लगाता है, हालाँकि यह बाल श्रम कों अवैध नहीं मानता है।

बहुत से गरीब परिवार अपने बच्चों के मजदूरी के सहारे हैं। कभी कभी ये ही उनके आय के स्रोत है। इस प्रकार का कार्य अक्सर दूर छिप कर होता है क्योंकि अक्सर ये कार्य औद्योगिक क्षेत्र में नहीं होतें है। बाल श्रम कृषि निर्वाह और शहरो के अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, बच्चों के घरेलू काम में

योगदान भी महत्वपूर्ण है। बच्चो को लाभ मुहैया कराने के लिए, बाल श्रम निषेध को दोनों अल्पावधि आय और दीर्घावधि संभावनाओं के साथ दोहरी चुनौती से निपटने के लिए काम करना है। कुछ युवाओं के अधिकार के समूहों यद्यपि, एक निश्चित आयु से नीचे के बच्चे को काम करने से रोक कर, बच्चों के विकल्प कम करने को मानव अधिकारों का उल्लंघन मानते है। और ये महसूस करते है कि ऐसे बच्चे पैसे वालों के इच्छा के अधीन रहते है। बच्चे की सहमति या काम करने के कारण बहुत भिन्न हो सकते हैं .एक बच्चा कार्य के लिए सहमत हो सकता है यदि इसका आय आकर्षक हैं या अगर बच्चा स्कूल से नफरत करता है, लेकिन इस तरह की सहमति को सहमति सूचित नहीं किया जा सकता . कार्यस्थल बच्चे के लिए लंबे समय में अवांछनीय स्थिति पैदा कर सकता है। एक प्रभावशाली समाचार पत्र में ष्बाल श्रम के अर्थशास्त्र ष पर अमेरिकी आर्थिक समीक्षा (१९९८), में कौशिक बसु और हुआंग वान का तर्क है कि बाल श्रम का मूल कारण माता पिता की गरीबी है। यदि ऐसा है तो, उन्होंने बाल श्रम के वैधानिक प्रतिबंध पर आगाह किया और तर्क दिया कि इसका उपयोग वयस्क मजदूरी प्रभावित हीन पर ही करना चाहिए और प्रभावित गरीब बच्चे के परिवार को पर्याप्त रूप से मुआवजा देना चाहिए. भारत और बंगलादेश सहित कई देशों में अभी भी बाल श्रम व्यापक रूप से विद्यमान है। यद्यपि इस देश के कानून के अनुसार १४ वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नही कर सकते, फिर भी कानून को नजरअंदाज कर दिया है। ११ साल जैसे छोटी उम्र के बच्चे २० घंटे तक एक दिन में काम करते हैं, ये काम करने के लिए स्वीट शॉप में जाकर अमेरिकी कंपनियों जैसे वाल मार्ट, हेंस और टारगेट में काम करते है। वे मात्र साड़े ६ सेंत प्रति मद के रूप में छोटा सा भुगतान पाते हैं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हार्वेस्ट रिच है, जो बाल श्रम ने प्रयोग नही करने का दावा किया है, हालांकि बच्चों को केवल १ डॉलर प्रति सप्ताह मिलता है।

बाल श्रम के खिलाफ अभियान

बाल श्रम औद्योगिक क्रांति.के आरम्भ के साथ ही प्रारम्भ हो गया उंदाहरण के लिए, कार्ल मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र . में कहा ष कारखानों में मौजूदा स्वरूप में बाल श्रम का त्याग ष्यह बात भी गौर करने योग्य है कि सार्वजनिक नैतिक सहापराध के जरिये ऐसे उत्पाद जो विकासशील देशों में एकत्रित या बाल श्रम से बने हैं उनके खरीद को हतोत्साहित किया जाय. दूसरों की चिंता है कि बाल श्रम से बने वस्तुओं का बहिष्कार करने पर यह बच्चे वेश्यावृत्ति या कृषि जैसे काम से अधिक खतरनाक या अति उत्साही व्यवसायों में जा सकते हैं उदाहरण के लिए, एक यूनिसेफ के एक अध्ययन में पाया गया कि ५००० से ७००० नेपाली बच्चे वेश्यावृत्ति के तरफ मूड गए इसके अलावा अमेरिका में बाल श्रम निवारण अधिनियम के लागू होने के बाद, एक अनुमान के अनुसार ५०००० बच्चों को

बंगलादेश में उनके परिधान उद्योग में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था और बहुत से लोग ष्पत्थर तोड़ने, गलिओं में धक्के खाना और वेश्यावृत्तिष् से जुड़ गए —— –यह सब के सब तथ्य यूनिसेफ एक अध्ययन के आधार पर आधारित है। ये सारे कार्य वस्त्र उत्पादन की तुलना में अधिक खतरनाक और विस्फोटक है इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सुधरे उपकरणों के दीर्घकालिक प्रयोग की भांति ऐसे परिणाम से बच्चो को फायदा की जगह हानि ज्यादा हो सकता है

आज कई उद्योग और निगम हैं जिनको कार्यकर्ताओं द्वारा बाल श्रम के कारण लक्षित किया जा रहा है।

मानव जगत में उत्साह, उमंगों एवं सपनों का सर्वोकृष्ट जीवित पुंज श्बालकश् को माना गया है द्य बच्चे किसी भी राष्ट्र के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं द्य वे देश के भावी कर्णधार एवं प्रगति का आइना हैं द्य उनका चमकता या मुरझाया हुआ चेहरा इस बात का प्रतीक है की वह देश कितना खुशहाल , संपन्न या विपन्न है द्य ये राष्ट्र की धरोहर होते हैं जिनकी समुचित देखभाल एवं विकास पर ही किसी भी राष्ट्र की प्रगति निर्भर करती है द्य वे सभ्यता एवं भविष्य के आधार हैं और निरंतर पुनजीर्वन का स्त्रोत भी, इन्ही के कन्धों पर मानवता के उज्जवल भविष्य की आधार–शिला रखी जा सकती है,किन्तु विडम्बना इस बात की हे कि इन बच्चों कि एक बड़ी संख्या ऐसे बच्चों कि है, जिनका जीवन संघर्षों एवं असामान्य परिस्थिति में बीतता है

प्रश्न ये है कि जिन बच्चों का बचपन ही समस्याओं से घिरा हुआ है, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या ये बच्चे बड़े होकर पढ़ेंगे या बाल श्रमिक बनेंगे और वे समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान किस प्रकार से दे सकेंगे? आज भी परिवार की आर्थिक विवशताओं के कारण हजारों बच्चे स्कूल की चौखट भी पार नहीं कर पाते और अनेकानेक बालकों को इन्हीं बाध्यताओं के कारण पढाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है और बाल श्रमिक आजीविका, शिक्षा, प्रशिक्षण और कार्यरत कौशल से वंचित रह जाते हैं परिणामतः न उनका मानसिक विकास हो पता है और न ही बौद्धिक विकास संभव है

किसी भी देश के बालकों की अच्छी अथवा बुरी दशा ही वहाँ के सांस्कृतिक स्तर का सबसे विश्वसनीय मापदंड होता है आदि काल से बच्चों का पालन पोषण विशेष और महत्त्वपूर्ण समाजिक उत्तरदायित्व रहा है द्य इस सन्दर्भ में उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि में परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है मनुष्य के जीवन में बाल्यावस्था एक ऐसी स्थिति है जिसमें उसको सबसे अधिक सहायता, देखभाल, प्रेम, सहानुभूति और सुरक्षा की आवश्यकता होती है जिन व्यक्तिओं का बाल जीवन सुखी, संतुष्ट और सुरक्षित गुजरता है उनका व्यक्तित्व और भविष्य भी सामान्यतः संतुलित होता है और वे एक

विकासशील, सशक्त और उन्नत समाज की संरचना में रचनात्मक सहयोग देते हैं

प्राचीनकाल से ही बाल श्रमिक कृषि, उद्योग, व्यापार तथा घरेलु धंधों में कार्यरत रहे हैं परन्तु उस समय जनसंख्या के कम दबाव, गरीबी, अज्ञानता, रूढ़िवादिता तथा भाग्यवादिता के कारण उनकी शिक्षा अवं उनके सर्वांगीण विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, बचपन ही मजदूरी की बेदी पर होम कर दिया जाता है ओर फिर उनके हाथों में कलम ओर किताब के स्थान पर हंसिया, फावड़ा, ओर श्रम के निशान ही सदैव दिखाई पड़ते हैं बल श्रम को बढ़ावा देने में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका उन उद्योगपतिओं, कारखानेदारों ओर संपन्न किसानों की है जो बच्चों को कम धंधों पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि एक तो ये छोटे बच्चे आधी या और कम मजदूरी में ही काम कर लेते हैं, दूसरे गंदे और असुविधाजनक वातावरण में चुपचाप घंटों काम करते हैं

बाल श्रम के पक्ष और विपक्ष दोनों में विचार व्यक्त किये गए हैं, पक्ष के विचारकों के अनुसार बाल श्रम आर्थिक प्रगति में योगदान देता है विपक्षियों के अनुसार यह एक सामाजिक बुराई है क्योंकि इसमें बच्चों के विकास में बाधा पड़ती है और वे वयस्क होने पर एक नागरिक के रूप में सामाजिक विकास में अपना समुचित योगदान नहीं दे पाते हैं विपक्षीय मत को इतनी व्यापक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है की बाल श्रम शब्द अब एक सामाजिक बुराई का ही बोध करता है

बाल श्रम की समस्या हर युग में किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है भारत के कृषि समाज में बच्चे कृषि व पारंपरिक व्यवसाय करते हैं व मदद करते हुए काम सीखते थे औद्योगीकरण के बढ़ने के साथ ही बाल श्रम का स्वरूप भी बदला पारिवारिक व्यवसाय के बंधन टूटते गए और बच्चों को भी एक स्वतन्त्र व्यक्ति के रूप में अपने नियोक्ता के पास मजदूरी ले लिए जाना पड़ा उसे अपनी समस्याओं से खुद ही जूझना पड़ा तथा काम के स्थान पर अभिभावकों के संरक्षण से वंचित भी रहना पड़ा

यूनिसेफ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है की बच्चों की खरीद, शोषण तथा दुकानों, खदानों, फैक्ट्रियों, उद्योगों, ईंट भट्टों और घरेलु कामों में जबरिया मजदूरी तथा शारीरिक दुर्व्यवहार की असंख्य डरावनी कहानियाँ हैं ध लेकिन सभी बाल श्रमिकों का शोषण नहीं होता है और उनके द्वारा किया जाने वाला हर काम उनके विकास के लिए घातक नहीं होता है रिपोर्ट में बांग्लादेश का उदहारण दिया गया है जहाँ वस्त्र उद्योग में ५५००० से अधिक बाल श्रमिक हैं और उनके योगदान से यह देश अमेरिका को करीब ७५ करोड़ डॉलर मूल्य के वस्त्रों का निर्यात करता है बाल श्रमिकों द्वारा बनाये गए माल पर प्रतिबन्ध के कारण बांग्लादेश के नियोक्ताओं ने करीब ७५ प्रतिशत बालकों को नौकरी से हटा दिया इससे ऐसे बाल श्रमिकों और उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट और गहरा हो गया

कामगार परिवारों की जितने हाथ उतने काम वाली मानसिकता ने भी बाल श्रम को बढ़ावा दिया है यह

मानसिकता बेहद घातक है और विकास की गति को पीछे ले जाती है श्रमिक परिवार की इस मानसिकता ने भी बाल श्रम को बढ़ावा दिया है बाल श्रमिक समाज के एक उपेक्षित अंग है, क्योंकि इन्हें स्कूलों में में पढ़ने के स्थान पर रोजी के लिए विवश होना पड़ता है २००१ की जनगणना के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या १२६६६३७७ है

वाल श्रम भारत की अन्य समस्याओं में एक कठिन समस्या है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है की भारत का भविष्य जो किसी कस्बे व नगर, महानगर की किन्ही बस्तियों में जन्म लेकर जीवन के ६ से ८ वर्ष की दहलीज को पार करते ही अपने पेट की चिंता में व सुबह शाम के पेट भरने की समस्या से बाध्य होकर उन बच्चों को चाय की दुकानों, हथकरघों और फुटपाथों पर काम करते देखा जा सकता है।

बच्चों को रोजगार ढूँढने के जो भी कारण हो प्राय: बालक ऐसी स्थितियों में काम करते हैं जो उनके स्वास्थ, कल्याण तथा विकास के लिए हानिकारक है जिससे अधिकतर बाल श्रमिक कभी स्कूल नहीं गए होते हैं या उन्हें पढाई बीच में ही छोड़कर रोजगार में लग जाना पड़ता है कामकाजी बालक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं जबकि यह आजीविका, पोषण तथा आर्थिक विकास के लिए पूर्व अपेक्षित है, चूँकि बालश्रम एक व्यापक समस्या है, इसलिए ये आम जनता, मजदूर संघों, समाज सेवा संगठनो, सरकार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है

संदर्भ :–

The Life of the Industrial Worker in Nineteenth-Century England". Laura Del Col, West Virginia University.

The Factory and Workshop Act 1901

"What is child labour?". International Labour Organisation. 2012.

"Convention on the Rights of the Child". United Nations. Archived from the original on 3 October 2006. Retrieved 2006-10-05.

"International and national legislation - Child Labour". International Labour Organisation. 2011.

hindi.indiawaterportal.org/node/54133 अन्तिम परिवर्तन 08: 16, 16 सितंबर 2016।

"Labour laws - An Amish exception". The Economist. 5 February 2004.

Larsen, P.B. Indigenous and tribal children: assessing child labour and education challenges.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

मध्यप्रदेश में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली की संभावनायें

डॉ. संगीता मिश्रा
शास. कुसुम महाविद्यालय,
सिवनी मालवा

डॉ. केशव मिश्रा
शास. नर्मदा महाविद्यालय,
होशंगाबाद

व्यवस्था हेतु विभिन्न प्रकार के नामों से प्रजा / नागरिकों से कर संग्रह किया जाता रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में शासन को अनेक महत्वपूर्ण दायित्व जैसे रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था, उद्योग एवं व्यापार, कृषि उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, लोक कल्याण आदि का निर्वहन करना होता है। अतएव वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, क्रय–विक्रय पर कर आरोपित किया जाता है।

कर की दरों का निर्धारण करना शासन के लिए एक चुनौती पूर्ण एवं बुद्धिमत्ता का कार्य है। कर का भार कमजोर वर्ग पर कम से कम हो अतएव दैनिक उपयोग की जीवनोपयोगी वस्तुओं पर कर की दरें कम रखी जाती हैं, विलासिता तथा संपन्न वर्ग के उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर कर की दरें तुलनात्मक रूप से अधिक रखी जाती हैं। राजकीय कोष के राजस्व को भी कर की दरें निर्धारित करते समय दृष्टिगत रखा जाता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का अध्ययन किया जाए तो

इसमें वस्तु एवं सेवा कर एक प्रमुख विकल्प के रूप में हमारे सामने आता है। भारत में वस्तु एवं सेवाकर अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है। भारत एक संघीय गणराज्य है

जिसमें केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर के रूप में करारोपित किया जा सकता है। यह पूर्ण मौजूदा कर ढांचे में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। यह पूर्ण मौजूदा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर तथा बिक्री कर प्रणाली में व्यापक एवं तार्किक कदम होगा।

21 जनवरी 2009 को प्रमुख सचिवों की एक राष्ट्रीय समिति ने इस पर अपने

महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए तथा इसे लागू करने की सिफारिश की गई। इस कर ढांचे में 3 प्रमुख धाराओं को शामिल किया गया है धारा 1 में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा लगाए गए ट।ज में और अधिक परिवर्तन किस प्रकार किए जाएं इस धारा के अंतर्गत ट।ज के वर्तमान मसौदे को किस प्रकार और अधिक प्रभावशाली बनाया जाए इस बात पर विचार करेगी। दुनिया भर में जी.एस.टी. की दरें 16 से 20 प्रतिशत के बीच मे है। भारत में भी यही दरें लागू होने की संभावना है। जी.एस.टी. लागू होने से कर की दरें तो कम होंगी लेकिन कर राजस्व में 5–6 गुना वृद्धि संभावित है। 140 से अधिक देशों में जी.एस.टी. किसी न किसी रूप में अपनाया जाता है। यह पिछले 50 वर्षों से यूरोप में कर परिदृश्य का हिस्सा रहा है तथा तेजी से एशिया प्रशांत क्षेत्र में अप्रत्यक्ष कर की पसंदीदा, फार्म होता जा रहा है। वस्तु एवं सेवाकर उच्च प्रतिस्थापन उत्पादकता कारक और पूंजी राष्ट्रीय आय में 9 फीसदी की वृद्धि संभावित है जिससे सकल घरेलू उत्पाद में 1.4 फीसदी वृद्धि संभावित है। वेट पर विषम राज्य कानून लागू होने के कारण वस्तु एवं सेवाकर को लागू करना आवश्यक हो गया है वैसे भारत में दो ही जी. एस.टी. माडल को अपनाया जाना प्रस्तावित है।

जीएसटी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है, जिसके द्वारा समस्त अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर सम्पूर्ण भारत वर्ष में एक समान करों वाली व्यवस्था को लागू किया जाना है, जिसके अन्तर्गत आयकर के समान सम्पूर्ण देश के करदाताओं को एकत्रीकृत जानकारी तैयार की जाकर कर प्रणाली को लागू किया जाता है। जीएसटी प्रणाली के उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

1. समस्त अप्रत्यक्ष करों को वेट प्रणाली के अन्तर्गत नहीं लाया जा सका था, किन्तु जीएसटी में सेन्ट्रल एक्साइज डयूटी, सर्विस, टैक्स, एडीशनल एक्साइज डयूटी, कस्टम डयूटी, सेड, वेट, सीएसटी, लक्जरी टैक्स, इन्टरटेनमेन्ट टैक्स, लाटरी पर कर, शेष एवं सरचार्ज को शामिल करते हुए सम्पूर्ण राष्ट्र में एक समान दरों पर अप्रत्यक्ष कर लागू किया जाना है।

2. इसी प्रकार सेनवेट प्रणाली में एडीशनल कस्टम डयूटी तथा सरचार्ज का इनपुट क्रेडिट नहीं दिया जाता था। जिनके कारण से ट्रेडर्स, इण्डस्ट्रीज एवं उपभोक्तओं को दो ही करारोपण की स्थिति का सामना करना होता था, किन्तु जीएसटी लागू होने के बाद दोहरे करारोपण की स्थिति से मुक्ति मिल सकेगी।

3. जीएसटी लागू होने के पश्चात् अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होगी। अतः सम्पूर्ण भारत मे वस्तुओं की कीमत में विभिन्न दरों के कारण आने वाले प्रभाव से मुक्ति मिलेगी।

4. चूंकि जीएसटी के अन्तर्गत सम्पूर्ण राष्ट्र के करदाताओं का एक एकीकृत डाटाबेस तैयार किया जाएगा तथा समस्त संव्यवहार आनलाइन सिस्टम के माध्यम से किए जावेंगे, अतः कर प्रणाली का पालन सरल एवं सुलभ होगा।

जीएसटी मॉडल के मुख्य बिन्दु–

1. भारत में लागू होने वाले जीएसटी में केन्द्रीय शासन के द्वारा सेन्ट्रल जीएसटी लागू किया जाएगा। इसी प्रकार राज्य सरकारों के द्वारा स्टेट जीएसटी लागू किया जाएगा।

2. जीएसटी के दायरे से बाहर के व्यक्तियों थ्रेसहोल्ड लिमिट से कम टर्नओवर वाले व्यवसायियों तथा करमुक्त वस्तुओं को छोड़कर जीएसटी लगभग समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होगा।

3. सेन्ट्रल जीएसटी एवं स्टेट ज़ीएसटी क्रमशः केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के खातें में पृथक–पृथक रूप से जमा किया जाएगा। इनकी दरें भी अलग–अलग होंगी। दोनो ही प्रकार के कर जमा कराते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि जमा किया गया कर वस्तुओं एवं सेवाओं के सही हेड में जमा किया गया है।

4. करदाताओं को जीएसटी के उपयोग एवं क्रेडिट की वापसी के पृथक–पृथक खाते रखने होंगे।

5. क्रय पर चुकाए गए केन्द्रीय जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट विक्रय पर देय केन्द्रीय जीएसटी से ही होगा।

6. इसी प्रकार क्रय पर चुकाए गए राज्य जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट विक्रय पर देय राज्य जीएसटी से ही होगा। अन्य शब्दों में राज्य जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट केन्द्रीय जीएसटी से नही होगा इसी प्रकार केन्द्रीय जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट राज्य जीएसटी की देय राशि से नहीं होगा।

7. अन्तर्राज्यीय विक्रय पर वसूले गए राज्य जीएसटी तथा केन्द्रीय जीएसटी को एकीकृत रूप से आई जीएसटी का नाम दिया जाना निश्चित किया गया है।

8. भारत के बाहर से माल के आयात की स्थिति में लगने वाली कस्टम डयूटी के स्थान पर केन्द्रीय जीएसटी एवं राज्य जीएसटी देय होंगी। जिस राज्य में आयातित माल खपत होगा, उस राज्य को ही राज्य जीएसटी का राजस्व प्राप्त होगा। भारत के बाहर से आयात किए गए माल पर चुकाए गए जीएसटी का संपूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकेगा।

9. वर्तमान में विभिन्न राज्यो में वेट एक्ट के अन्तर्गत विभिन्न क्रेश होल्ड टर्नओवर की भिन्न–भिन्न

लिमिट्स लागू हैं। जीएसटी के अन्तर्गत सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रत्येक राज्य के लिए एक समान थ्रेशहोल्ड लिमिट लागू किया जाना निश्चित किया गया है। इसी तारतम्य में वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए 10 लाख रूपये की एकीकृत थ्रेशहोल्ड लिमिट लागू होने की संभावना है।

10. यद्यपि केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा पृथक–पृथक सेन्ट्रल जीएसटी एवं स्टेट जीएसटी लागू किये जा रहे हैं किन्तु केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा लागू किए जाने वाले जीएसटी के मूल आधार जैसे कि कर का दायित्व टैक्सेबल इवेन्ट, टैक्सेबल पर्सन कर के संग्रहण का परिमाण कर देयता की स्थिति, कर की देयता के लिए मूल्यों का निर्धारण वर्गीकरण का आधार आदि केन्द्रीय जीएसटी एवं राज्य जीएसटी में एक समान होंगे।

11. छोटे व्यवसायियों के लिए कम्पोजीशन अथवा कम्पाउंडिंग के लिए टर्नओवर की उच्चतम दर 50 लाख रूपये रखी जाना निश्चित किया गया है। ऐसे व्यवसायियों को आधा प्रतिशत की दर से कम्पोजीशन फीस जमा करानी होगी। 50 लाख रूपयों से कम टर्नओवर वाले व्यवसायियों को यह विकल्प होगा कि वे कम्पोजीशन की स्कीम में न जाते हुए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर निमयानुसार जमा कराए।

12. करदाताओं को नियमित रिटर्नस एक समान प्रारूप में केन्द्रीय जीएसटी एवं राज्य जीएसटी कार्यालयों में प्रस्तुत करना होगा।

13. प्रत्येक करदाता को सर्विस टैक्स में अलाट किए गए पेन लिंक्ड टैक्स पेयर आइडेंटीफिकेशन नंबर के समान ही जीएसटी के नंबर प्रदान किए जाऐंगे जिसमें 10 अंको के इनकम टैक्स पेन नंबर के अतिरिक्त अगले 3 या 5 अंक जीएसटी के लिए अतिरिक्त रूप से होंगे। इस प्रकार कुल 13 से 15 अंकों का जीएसटी नंबर प्रदान किए जायेंगे।

14. करदाताओं की सुविधा के लिए कर निर्धारण इन्फोर्समेंट, स्कूटनी तथा आडिट की कार्यवाही करदाता के द्वारा केन्द्रीय जीएसटी एवं राज्य जीएसटी के लिए दी गई जानकारी के आधार पर संग्रहण अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी।

15. माल के निर्यात, केपिटल गुड्स के क्रय, माल के क्रय पर अधिक दर से चुकाए गए कर के विरूद्ध विक्रय पर कम दर से कर की देयता के कारण जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट के आधिक्य की स्थिति में क्रेडिट की राशि को एक निश्चित समयावधि में वापस किए जाने हेतु प्रावधान लाया जाना निश्चित किया गया है।

16. सेन्ट्रल जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाएगा तथा राज्य जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार जीएसटी के प्रावधानों में यह तथ्य

सन्निहित है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों को अपने सभी करदाताओं की महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान श्रृंखला पर वस्तुओं एवं सेवाओं की थ्रेशहोल्ड लिमिट के आधार पर समवर्ती अधिभारित रखना होगी अर्थात राज्य एवं केन्द्र दोनो का ही करदाताओं पर एक समान क्षेत्राधिकार होगा।

17. निर्यात को रिफण्ड क्लेम करने के लिए लेखा पुस्तकों में अलग से प्रविष्टि रखनी होगी।

संदर्भ सूची–

1. अप्रत्यक्ष कर – डॉ. एच.सी. मेहरोत्रा
2. जीएसटी मॉडल – म्बवदवउपब"नतअमल वपिदकपं ;टंतपवने प्समद्ध
3. योजना पत्रिका – वर्ष 2015
4. भारतीय अर्थव्यवस्था – मिश्र पुरी
5. सर्विस टैक्स लॉ गाइड

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

मत्स्य पालन के क्षेत्र मे समस्याएँ, सुझाव एवं संभावनायें

डॉ. केशव मिश्रा
शास. नर्मदा महाविद्यालय,
होशंगाबाद

डॉ. संगीता मिश्रा
शास. कुसुम महाविद्यालय,
सिवनी, मालवा

मत्स्य पालन में आने वाली समस्याएँ– समस्त उपायों साधनों एवं वैज्ञानिक विधियों के द्वारा मत्स्य पालन सफलतापूर्वक संपन्न हो सकता है, अर्थात इन बातों को ध्यान में रखकर ही हम मत्स्य पालन को एक लाभकारी व्यवसाय बना सकते हैं। इन सब बातों का पालन करने के बावजूद कभी–कभी कुछ समस्यायें मत्स्य पालन में ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि इस व्यवसाय में हानि का मुंह देखना पड़ सकता है, अतः इस हानि से बचने के लिए मत्स्य पालन में आने वाली सभी संभावित विषम परिस्थितियों एवं आकस्मिक घटनाओं से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। मत्स्य पालन के क्षेत्र में आने वाली प्रमुख समस्यायें निम्नलिखित हैं:–

(I) **प्रबंधन संबंधी समस्यायें–**

(i) कुप्रबंध।

(ii) अधिक उर्वरक एवं गन्दे जल का प्रभाव।

(iii) कीटनाशक दवाओं का प्रयोग।

(iv) अवांछनीय मत्स्यों, कीटाणुओ से बचाव

(v) सामान्य / साधारण मत्स्य से बचाव

विपणन संबंधी समस्यायें

(i) अपर्याप्त विक्रय मूल्य।

(ii) शासकीय असहयोग।

(iii) उपकरणों एवं मशीनों के चयन की समस्या।

(iv) प्रशिक्षित कर्मचारियों एवं श्रमिकों की कमी।

(v) कुशल कर्मचारियों द्वारा अधिक वेतन की मांग।

(vi) परिवहन सुविधाओं का अभाव।

वित्तीय समस्यायें

(i) पूंजी की कमी।

(ii) वित्तीय संस्थाओं का अभाव।

(iii) अपर्याप्त ऋण राशि का निर्धारण।

(iv) अदेय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता।

(v) भ्रष्टाचार व लाल फीताशाही।

(vi) किश्त भुगतान की सूचना समय पर प्राप्त न होना।

मत्स्य पालन संबंधी सामान्य समस्यायें–

संभाग में मत्स्य पालन को लेकर वर्तमान में काफी प्रचार–प्रसार हुआ है। यद्यपि मत्स्य पालन के विकास को अनुकूल बनाने मे निम्नलिखित समस्यायें सामने आई–

(i) प्राकृतिक विषमतायें।

(ii) अपर्याप्त सिंचाई सुविधा।

(iii) स्वच्छता संबंधी जागरूकता का अभाव।

(iv) शिक्षण प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव।

(v) संसाधनों का पर्याप्त दोहन नहीं होना।

(vi) मत्स्य उत्पादन अवशिष्ट निदान का अभाव।

(vii) पर्याप्त मूल्य अभिवृद्धि गतिविधियों का अभाव।

(viii) गुणवत्ता समस्या।

(ix) उत्पादन की परंपरागत विधियां।

(x) सामंजस्य का अभाव।

(xi) खुला बाजार गतिविधियों का अभाव।

(xii) अनुसंधान गतिविधियों की कमी।

(xiii) विपणन जागरूकता का अभाव।

(xiv) उपयुक्त एवं समयबद्ध कार्य योजना की समस्यॉं।

(xv) पर्याप्त प्रचार–प्रसार न होना।

(xvi) धार्मिक एवं शाकाहार की मान्यताएं।

सुझाव–

संभाग में मत्स्य पालकों के मार्ग में व्याप्त समस्याओं को दूर कर मत्स्य पालन संबंधी कार्यप्रणाली में सुधारात्मक कदम उठाकर उद्देश्य के अनुरूप लाभ प्राप्त कर सकें तथा संभाग के अन्य कृषक मत्स्य पालन हेतु प्रोत्साहित होकर इस क्षेत्र में प्रवेश कर संभाग के आर्थिक विकास में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर सकें, इस हेतु संबद्ध व्यक्तियों, सामाजिक आर्थिक परिवेश के प्रति सजग जनों तथा संबद्ध अशासकीय संगठनों को विभिन्न स्तर पर अस्थायी प्रयासों के स्थान पर निरंतर प्रयास करना होगा ताकि लक्ष्य के अनुरूप अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। इस हेतु निम्नांकित सुझाय प्रस्तुत हैं:–

1) मत्स्यों के भोजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु प्रयास।

2) उत्तम प्रजाति की मत्स्य बीज की व्यवस्था।

3) पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास।

4) पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराया जाए।

5) कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए।

6) उत्पादकता एवं गुणवत्ता मानकों हेतु कृषकों को प्रोत्साहन।

7) लागत प्रबंधन।

8) मत्स्य पालन हेतु उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया जाए

9) कुशल श्रमिक व सहयोग तैयार किए जाएं।

10) प्रतिकूलता नियंत्रण के उपाय किए जाने चाहिए।

11) स्वच्छता मानदण्डों को अपनाया जाना चाहिए।

12) संसाधनों के पर्याप्त दोहन को प्रोत्साहन।

13) अवशिष्ट प्रबंधन।

14) उपोत्पाद प्रबंधन।

15) मूल्य अभिवृद्धि गतिविधियों को बढ़ावा।

16) उत्पादन के आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाने चाहिए।

17) मत्स्य मंडियों का विकास किया जाना चाहिए।

18) प्रचार–प्रसार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

19) आक्रामक उत्पादन एवं विपणन नीति अपनायी जाए।

20) मत्स्य पालन को फसल बीमा के दायरे में लाया जाए।

अंततः यही कहा जा सकता है कि उपर्युक्त सुझावों को अपनाने से मत्स्य पालकों की समस्याओं को हल करने एवं मत्स्य पालन के विकास में सहायता मिलेगी। भावी मत्स्य पालक पहले से ही इन समस्याओं पर विचार कर मानसिक रूप से तैयार हो सकेंगे। किन्तु ये सुझाव समग्र रूप से एक निश्चित कार्ययोजना बनाकर अपनाए जाने चाहिए। किन्ही एक या दो सुझावों को अपनाने से सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि कृषकों की पूर्व उल्लिखित समस्यायें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अतः समग्र सुझाव के आधार पर ही इन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है।

मत्स्य पालन के क्षेत्र में संभावनायें

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कृषि आधारित उद्यमों के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। ये आर्थिक विकास की रीढ़ के समान है। नर्मदापुरम् संभाग में भी कृषि आधारित उद्यमों का विकास तेज गति से चल रहा है। संभाग की अर्थव्यवस्था, कृषि के साथ–साथ कृषि आधारित उद्यमों से भी जुड़ी हुई है। बढ़ती हुई जनसंख्या का दवाब तथा बदलती हुई संस्कृति तथा जीवन शैली के कारण यह आवश्यक है कि संभाग के निवासियों हेतु अधिक आय के वैकल्पिक स्त्रोत स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हों। संभाग की कुल कार्यशील जनसंख्या में मुख्यतः कृषक एवं खेतिहर मंजदूर शामिल हैं। संभाग में छिपी हुई बेरोजगारी भी एक समस्या है जिसका पता लगाना तथा उसे कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा बनाना भी नीति निर्माताओ का एक अहम दायित्व है। संभाग की पर्यावरण, भौतिक संपदा तथा संभाग में उपलब्ध वनक्षेत्र मत्स्य पालन हेतु अनुकूल वातावरण बनाते हैं। मत्स्य के क्षेत्र में हो रहे नवीन अनुसंधानों ने भी संभाग में मत्स्य पालन की संभावनायें के द्वार खोले हैं। मत्स्य पालन, मत्स्यबीज उत्पादन, मत्स्य खाद, मत्स्य तेल, मत्स्य आहार के क्षेत्र में विपुल संभावनाओं के साथ–साथ मत्स्य विपणन एवं मत्स्य बीज संचयन तथा विपणन के क्षेत्र में प्रचुर संभावनायें विद्यमान हैं, जिनका दोहन क्षेत्र एवं रोजगार उपलब्धता के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध करा सकता है। संभाग में मत्स्य पालन गतिविधियों के क्षेत्र में संभावनायें निम्नानुसार हैः–

1) मत्स्य पालन में संभावनायें।

2) मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में संभावनायें।

3) मत्स्य बीज संचयन।

4) मत्स्य एवं मोतीपालन।

5) एकीकृत मत्स्य पालन के क्षेत्र में संभावनायें।

A. मत्स्य सुअर संवर्धन।

B. बतख मछली संवर्धन।

C. कुक्कुट मछली संवर्धन।

D. मत्स्य गाय संवर्धन।

E. धान की खेती व मत्स्यपालन।

F. तालाबों के बांधो पर फसलों का उत्पादन।

G. मत्स्य एवं रेशम मे कीड़ों का संवर्धन।

संदर्भ सूची–

1. "An Introduction to Fisheries" Khanna S.S. Shivlal Agrawal & 1998
2. कृषि विपणन अग्रवाल एल.एन.
3. भारतीय कृषि का अर्थतंत्र अग्रवाल एल.एन.
4. भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं दोषी एस.एल.
5. भारतवर्ष का विस्तृत भूगोल चौहान वीरेन्द्र सिंह

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

विभिन्न समाजिक आर्थिक स्तर एवं पारिवारिक वातावरण में उपस्थित छात्र-छात्राओं का तुलनात्मक चित्रण

निर्देशक
डॉ. अलका डेविड
प्राध्यापक प्राचार्य
शा कन्या महाविघालय रायसेन

शोघार्थी
अलका द्विवेदी

Introduction:- आर्थिक कारक बहुत कुछ करते है उदाहरण के तौर पर जन्म के बाद किशोर बच्चा अपने–आप जन्म के बाद किस प्रकार के घर में पाता है। अल्प आय घर को बंदिशो और भौतिक व्यवस्था में सीमित कर देती है। अपूर्ण आय घर में चिन्ता और दबाव बनाती हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती है जो स्व–सहयोग उपाय कुशलता परिवार के सदस्यों के बिना करने की चाहत के दबाव से होती है। दूसरी तरफ एक घर जिसमें वो सब कुछ होता है जो बच्चा चाहता है इस बात का खतरा हो जाता है कही बच्चा असामाजिक गैरतमलबी ना बन जाए। विकासशील बच्चे के लिए आदर्श परिस्थिति वो होती है जहाँ ज्यादा ना तो गरीबी हो ना तो अमीरी हो। इसी तरह पारिवारिक वातावरण सभी बच्चों को जन्म के बाद सर्वप्रथम परिवार का ही वातावरण प्राप्त होता है। व किशोर व किशोरियों के माता–पिता, भाई–बहनों तथा परिवार के अन्य सम्बन्धियों का बालक के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वह उसका पारिवारिक वातावरण है। साथ रहकर बालक जीवन रक्षा के साथ–साथ अपने व्यवहार और चरित्र (Character)] नैतिकता (Morility) आदि परिवार से ही सिखता है। परिवार ही बालक के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मनुष्य के बच्चे का जन्म परिवार में होता है परिवार में रहकर ही वह पारिवारिक अन्तःक्रिया (Family Interaction) के द्वारा पारिवारिक सम्बन्ध (Family Relationship) स्थापित करता है। प्रत्येक संस्कृति में पाये जाने वाले सभी परिवारों की कुछ अपनी मानमर्यादा तथा आदर्श होते है, जो परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्वयं के परिवार के हित के लिए सदाचार तथा कर्तव्य–परायणता से प्रेरित होकर कार्य करने के लिए विवश करते है, परिवार में रहकर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तथा उसी के अनुसार अपने संबंध ा स्थापित करता है।

मानव के प्रारम्भिक जीवन अर्थात् बाल्यावस्था में उसका पर्यावरण परिवार ही होता है परिवार मे ही बच्च्या अन्तःक्रिया द्वारा पारिवारिक संबंध तथा पारिवारिक वातावरण से उचित आचरण सिखता है। वातावरण में उपलब्ध बालक की नैतिकता को प्रभावित करने वाला सबसे बलवान तत्व उसका परिवार माना जाता हैं। बालक अपने परिवार में निर्णय (Judgement), ewY; (Value), vkn'kZ (Ideals) और उचित अनुचित के विचार माता–पिता, शिक्षकों और मित्रों से ही ग्रहण करते है। माता और पिता में बालक माता के विचारों को प्रभाव प्रारम्भिक अवस्था में और पिता के विचारों का प्रभाव सयाने हो जाने पर अधिक मात्रा में पड़ता है। अतः जिन घरों में व किशोर को अधिक प्यार मिलता है उन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है तथा उनके साथ न्याय किया जाता है वहाँ के बालकों का परिवार समायोजन ;भ्वउम करनेजउमदजद्ध अच्छे प्रकार का होता है। परिवार ही बालक को समाज के रीति–रिवाजों, व्यवहारों, संस्कृति के अन्य आवश्यक अंगो, स्वास्थ्य–रक्षा प्रेम, सहानुभूति, त्याग सहयोग आदि की व्यवहारिक शिक्षा देता है। प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र भिन्न–भिन्न होता है परन्तु पारिवारिक वातावरण का भी उसे बनाने में बड़ा हाथ है।

किशोरों बालक–बालकों के चारित्रिक तथा नैतिक विकास में परिवार के भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण और परिवार के सदस्यों के बीच पाये जाने वाले सम्बन्धों का बहुत प्रभाव पड़ता है। उन परिवारों के किशोरों का चारित्रिक तथा नैतिक विकास अच्छा होता है। माता–पिता, भाई–बहनों के परस्पर सम्बन्धों का भी व किशोर बालक–बालिकाओं के चरित्र विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि माता–पिता आपस में लड़ते–झगड़ते है। और बालक को दो आँख से देखते है। भाई–बहनों में भी दिन–रात झगड़ा होता रहता है या घर पर आने–जाने वाले लोग यदि अनपढ़ तथा मूर्ख होते है तो ऐसी किसी एक या एक से अधिक परिस्थितियों का बालको के चारित्रिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

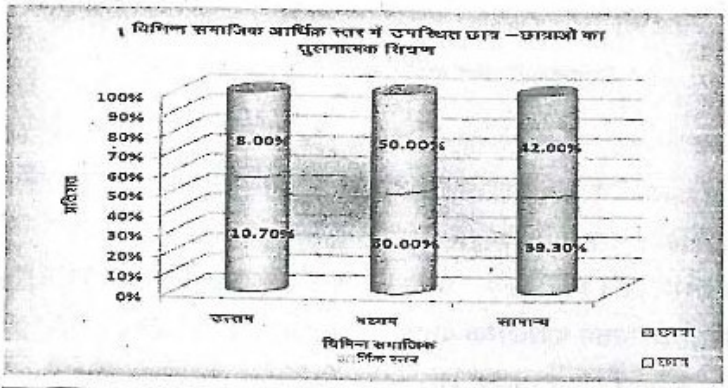

उपरोक्त तालिका में विभिन्न समाजिक आर्थिक स्तर में छात्र–छात्राओ की उपस्थिति में अंतर के तुलनात्मक परिणामों को प्रतिशत किया गया हैं। परिणामों से स्पष्ट हैं कि अधिकतर छात्र –छात्रा ;50:द्ध प्रतिशत मध्यम समाजिक आर्थिक स्तर घ्घ्घ् में घ्घ् । घ्घ्घ् 39ण्3 : छात्र एवं 42ण्0 प्रतिशत छात्राएँ सामान्य समाजिक आर्थिक स्तर में शामिल है। 10ण्7 प्रतिशत छात्र एवं 8ण्0 प्रतिशत छात्राएँ उत्तम समाजिक आर्थिक स्तर में शामिल पाये गये। अतः निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि चयनित न्यादर्श में मध्यम समाजिक आर्थिक स्तर में छात्र –छात्राएँ अन्य दो समाजिक आर्थिक स्तरकी अपेक्षा अधिक है।

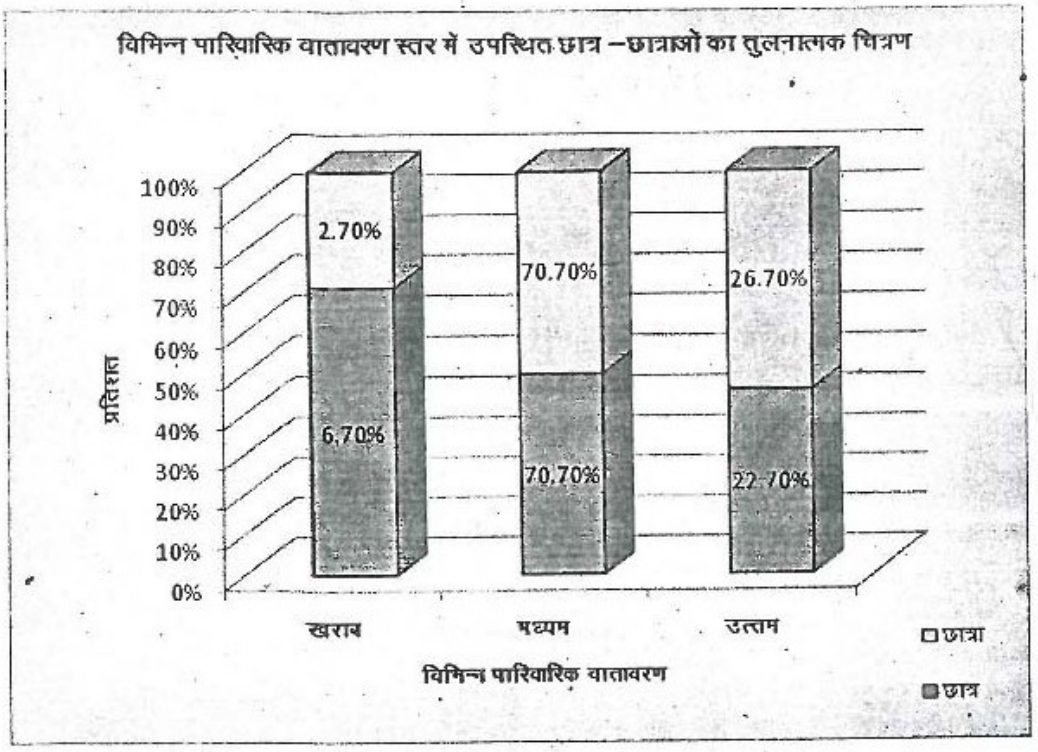

उपरोक्त तालिका में विभिन्न पारिवारिक वातावरण में छात्र –छात्राओ की उपस्थिति में तुलनात्मक अंतर के परिणामों को प्रतिशत में किया गया हैं। परिणामों से स्पष्ट हैं कि 6ण्7 प्रतिशत छात्र एंव छात्राएँ ;2ण्7:द्ध खराब पारिवारिक वातावरण हैं। घ्घ्घ् 70ण्7: छात्र एवं 70ण्7: छात्राओ प्रतिशत छात्राएँ मध्यम पारिवारिक वातावरण शामिल घ्घ उत्तम पारिवारिक वातावरण में छात्र 22ण्7: छात्राए 26ण्7: । अतः निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि चयनित न्यादर्श विभिन्न पारिवारिक वातावरण में छात्र –छात्राएँ

खराब उत्तम पारिवारिक वातावरण की अपेक्षा मध्यम पारिवारिक वातावरण छात्र –छात्राओ की उपस्थिति अधिक है।

Referenees :-

" Morris, A.s. Silic,. (2007), the role of the family context in the development of emotion regulation social development. 16,2,361-368.

" आहूजा राम, (2000); भारतीय समाज, प्रथम संस्करण, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ.सं. 70–9, 142–172।

" कुमार प्रमेश (2010); सामाजिक मनोविज्ञान, प्रथम संस्करण, आर्या पब्लिकेशन, दिल्ली पृ.सं. 168–176।

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

जल संसाधनों की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. भेरूलाल चौरडिया
(अतिथि विद्धवान , अर्थशास्त्र)
शासकीय महाविद्यालय पोलायकॅला, जिला शाजापुर

प्रस्तावना :– भारत में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और देश के आर्थिक विकास में जल–संसाधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि के अतिरिक्त उद्योग व जहाजरानी आदि क्षेत्रों में भी जल–संसाधनों का विशेष महत्व है। देश में जल का सबसे अधिक महत्व कृषि विकास के लिये है। पानी के बिना कोई भी फसल पैदा नहीं की जा सकती है। अतः भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जल–संसाधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण यह कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून का जूआ है।

सभी सजीवों, सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बहुकोशिकीय पौधों व वनस्पति के शरीर में जल उनकी उत्तर–जीविता के लिए आवश्यक रूप से उपस्थित रहता है। पृथ्वी की सतह का तीन–चौथाई हिस्सा समूद्र से घिरा है। यह पृथ्वी के जल का 97 प्रतिशत है, जो कि समूद्र में खारे जल के रूप में रहता है। शेष 3 प्रतिशत मीठा जल है तथा यह भी पूर्णतया मानव उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होता है। मीठे जल का 2 प्रतिशत हिस्सा ध्रुवों पर बर्फ के रूप में रहता है

तथा 1 प्रतिशत नदियों, झीलों और भूमिगत जलाशयों का उपयोग–योग्य जल है, जिसके आंशिक भाग का ही वास्तव में उपयोग किया जा सकता है। मृदा एवं वायुमण्डल में अलवणक अल्प मात्रा में होते हुए भी जैव मण्डल के जलीय चक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अध्ययन के उद्देश्य :–

अध्ययन के उद्देश्य निम्न है –

(1) जल के उपयोगों का अध्ययन करना।

(2) जल के स्त्रोतों एवं मात्राओं का अध्ययन करना।

(3) जल सरंक्षण एवं प्रबंधन का अध्ययन करना।

(4) भूमिगत जल के उपयोग का अध्ययन करना।

जल का उपयोग :–

विश्व स्तर पर 70: जल का उपयोग कृषि में, 25 प्रतिशत जल का उपयोग उद्योगों में और केवल 5 प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू कार्यो में होता है, लेकिन ये अनुपात विभिन्न देशों में अलग–अलग है और औद्योगिक देशों मे उद्योगों में जल की खपत अधिक है। भारत में 90 प्रतिशत जल का कृषि में, 7 प्रतिशत का उद्योगों में और 3प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू कार्यो में होता है। भूमण्डलीय स्तर पर वर्ष 1950 से जल के उपयोग में प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा विभिन्न देशों की उपभोग दर में भिन्नता आई है।

जल के लिए राज्यों के बीच टकराव बढ़ रहे है। मिसाल के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी के लिए तथा कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी के लिए तथा कर्नाटक और आन्ध्रप्रदेश के बीच कृष्णा नदी के जल के लिए विवाद हो रहा है। अनुमान है कि भारत वर्ष 2028 तक जल को लेकर भारी दबाव पड़ेगा। विश्व स्तर पर अभी भी 31 देशों को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वर्ष 2025 तक जल की गम्भीर समस्या से 48 देश ग्रस्त होंगे। जिससे दुनिया में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है।

जल स्त्रोत एवं मात्रा :–

भारत में उपलब्ध जल स्त्रोतों को सामान्यतः दो भागो में बाँटा जा सकता है।

(।) भू–स्तरीय जल(ठ) भू–गर्भ जल।

इन स्त्रोंतो का विवरण निम्न है: –

(।) भू–स्तरीय जल :–

भू–स्तरीय जल मुख्यतः तीन स्त्रोतों से प्राप्त होता है –

(1) वर्षा (2) बर्फ जो पिघलकर नदी–नालों में आती है और (3) ओंस। वर्षा मुख्यतः जून से सितम्बर माह में होती है। देश में वर्षा का प्रादेशिक वितरण बहुत असमान है। जहाँ असम, मणिपुर एवं पश्चिम बंगाल में वर्षा औसतन 225 से.मी. से अधिक होती है, वहीं यह राजस्थान में केवल 51 से. मी. है। भारत में भूस्तरीय जल–संसाधनों की कुल मात्रा 1,356 करोड़ एक फुट है, जिसमें कोई 54 करोड़ एकड़ फुट कुल उपयोग योग्य है। इस जल का उपयोग सिंचाई एवं बिजली तैयार करने में किया जाता है, किंतु अभी तक इसका उपयोग बहुत कम हुआ है।

(ठ) भू–गर्भ जल :–

वर्षा एवं नदी–नालों का पानी रिसकर भूमि के अन्दर पहुँचता है इस जल को गहरी खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। लगभग 65 करोड़ एकड फुट पानी रिसकर जमीन के नीचे चला जाता है। इसमें से 35 करोड़ एकड फुट जमीन की ऊपरी सतह पर ही रह जाता है और इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। कई क्षेत्रों में भू–गर्भ जल का सिंचाई में उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और इससे जल का स्तर नीचे जा रहा है, जहाँ एक जटिल समस्या पैदा हो रही है।

जल संरक्षण एवं प्रबन्धन :–

विश्व में उपलब्ध जल स्त्रोतों का समुचित उपयोग हो और यह उपलब्धि भविष्य में भी चलती रहे इसके लिए जल संरक्षण की विधियों को अपनाया जाना आवश्यक है इसकी

कुछ विधियाँ निम्न है–

जल का उचित वितरण एवं प्रयोग :–

संसार में जल की उपलब्धि अत्यधिक असमान है, जल वितरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वितरण व्यवस्था इस प्रकार विकसित की जाए कि उसमें जल हानि न हो तथा जल प्रदुषित होने से बच जाये। जल वितरण एवं उसके संरक्षण से संबंधित कतिपय तथ्य है–

जहाँ तक हो सके जल वितरण पाईपों की सहायता से किया जाना चाहिएँ जिससे भूमि जल को न सोख सके तथा उसमें बाहरी गंदगी का समावेश न हो।

नहरो और वितरिकाओं को पक्का बनाकर भूमि द्वारा सोखे जाने वाले जल को बँचाया जा सकता है, जिसकी मात्रा 10 से 30 प्रतिशत तक हो जाती है।

जल संचय हेतु जलाशयों का निर्माण किया जाए।

खेतों में सिंचाई के नालो को पक्का बनाकर भी जल संरक्षित किया जा सकता है।

जल के टैंकों को जहाँ तक सम्भव हो सके ढ़कने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वाष्पीकरण से होने वाली जल की हानि नहीं होगी और जल भी शुद्ध रहेगा।

पानी के यथार्थ मूल्य की वसूली जिसके कारण लोग उसका जिम्मेदारी से और कारगर ढ़ंग से उपयोग करे तथा पानी की बर्बादी कम हो।

आसवन विधि द्वारा या विपरीत परासरण द्वारा खारेपन को निकालकर समुद्री जल तथा लवणयुक्त भूमिगत जल को लवणहीन कर, इसे पीने योग्य या अन्य उपयोग के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय ज़ल विकास एजेन्सी की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी ने

36 जल स्थानान्तरण सम्पर्को का पता लगाया है जिसमें 17 प्रायद्वीपीय घटक तथा 19 हिमालय घटक है।

भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग : –

भूमिगत जल आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्त्रोंत है, जिसका उचित उपयोग एवं संरक्षण आवश्यक है। विशेष रूप से शुष्क एवं अर्द्धशुष्क प्रदेशो में जहाँ वर्षा नाम मात्र की होती हैं, उसके लिए वर्षा जल को एकत्र करके तथा भूमिगत जल का पुनः भरण कर भूमिगत जल का संरक्षण किया जा सकता है।

वनस्पति विनाश पर नियंत्रण :–

प्राकृतिक वनस्पति जहाँ एक और जल का उपयोग करती है वहीं जलीच चक्र को सम्पादित करने में सहायक होती है। निरन्तर वनों के विनाश से सूखा पड़ता है। वनस्पति वायूमण्डल में नमी बनाये रखती है तापमान में वृद्धी को रोकती है, वर्षा में सहायक होती है तथा वाष्पीकरण द्वारा जल की हानि को रोकती है। वनस्पति एवं जल को अन्योन्याश्रित माना जाता है, अतः वनस्पति विनाश को रोकना और नए वृक्ष लगाना जल संरक्षण के लिए आवश्यक है।

अपशिष्ट जल का शोधन :–

प्रदूषित एवं अपशिष्ट जल का शोधन कर उसे पुनः उपयोग के लिए उपयोगी बनाकर जल की कमी को कुछ कम किया जा सकता हैं। यद्यपि अपशिष्ट जल का शोधन पर्याप्त खर्चीला होता है तथा इसके लिए उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है। अपशिष्ट जल को शोधित कर उसे विभिन्न उपयोगों जैसे– उद्योगों, कृषि आदि में लिया जा सकता हैं।

घरेलू अपशिष्ट जल को अपशिष्ट जल संयन्त्र निर्माण द्वारा पुनः उपयोग में लाकर तथा जल के पुनः चक्रण द्वारा घरेलू जल की बर्बादी को कम किया जा सकता हैं इसके अतिरिक्त उपभोक्ता को शिक्षित कर तथा जल संरक्षणकारी घरेलू उपकरणों द्वारा भी जल के घरेलू उपभोग को कम किया जा सकता है।

सिंचाई की दक्षता बढ़ाकर :–

पारम्परिक पद्धति की सिंचाई में मात्र 50 प्रतिशत जल ही पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है, शेष जल बर्बाद होता है। स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई को अपनाकर सिंचाई में जल की बर्बादी को रोका जा सकता है।

निष्कर्ष :–

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि भारत में 90 प्रतिशत जल का उपयोग कृषि में होता है तथा उद्योग व घरेलू कार्यो में जल का उपयोग क्रमशः 7 व 3 प्रतिशत होता है।

जल स्त्रोतों के विकास से कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन सम्भव है। इससे न केवल कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी वरन उद्योग एवं व्यापार में भी विस्तार होगा जिससे रोजगार के अवसरों में विस्तार होगा।

भारत में भू–स्तरीय जल संसाधनों का उपयोग सिंचाई एवं बिजली तैयार करने में किया जाता है, किंतु अभी भी इनका उपयोग बहुत कम है। भू–गर्भ जल का सिंचाई में उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और इससे जल का स्तर क्रमशः नीचे जा रहा है जहाँ एक जटिल समस्या पैदा हो रही है। जल स्त्रोतों का समूचित उपयोग हो और यह उपलब्धि भविष्य में भी चलती रहे, इसके लिए जल संरक्षण एवं प्रबंधन की विधियों को अपनाया जाना आवश्यक है। साथ ही भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। अतः स्पष्ट होता है कि जल–संसाधनों के विकास से सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी जा सकती है।

:: संदर्भ–सूची ::

(1) अरिहन्त (2013) "पर्यावरण परिस्थितकी" कालिन्दी टी.पी.नगर, मेरठ पृ.क्र. 94।

(2) तदैव पृ.क्र. 95।

(3) पी.डी. माहेश्वरी एवं शीलचन्द्र गुप्ता (2012) "भारतीय अर्थव्यवस्था" कैलाश पुस्तक सदन हमीदिया मार्ग, भोपाल। पृ.क्र. 26 व 27।

(4) एस. के. मिश्र एवं वी.के पुरी (2008) "भारतीय अर्थव्यवस्था" हिमालया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली पृ.कृ. 117।

(5) तदैव पृ.क्र. 178।

(6) प्रतियोगिता दर्पण(2013) "भारतीय अर्थव्यवस्था" (अतिरिक्तांक) उपकार प्रकाशन, आगरा पृ.क्र.116।

(7) तदैव पृ.क्र. 118।

(8) रूद्र दत्त एवं के.पी.एम. सुन्द्रस्म् (2008) "भारतीय अर्थव्यवस्था" एस.चन्द्र एण्ड लिमिटेड, नई दिल्ली पृ.क्र.184।

(9) जय प्रकाश मिश्र (2007) "कृषि अर्थशास्त्र" साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा पृ.क्र. 114।

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में दलित चेतना

ललिता कु. मीणा
शोधछात्रा
राजकीय महाविद्यालय, कोटा
कोटा (राजस्थान)

21 वीं सदी के भारतीय समाज एवं साहित्य में वैश्वीकरण, भूमण्डलीकरण, स्त्री–विमर्श दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श आदि अवधारणाएँ अपने प्रखरतम रुप में उभरकर हमारे सम्मुख उपस्थित हो गई हैं। यद्यपि दलित, स्त्री या आदिवासी विमर्श की छटा हमें पुरातन साहित्य में भी देखने को मिलती है परन्तु ये समस्त अवधारणाएँ एक नये रूप एवं कलेवर के साथ वर्तमान समाज में चर्चा एवं चिन्तन का विषय बन गई हैं।

प्राचीन भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। सम्पूर्ण समाज को चार वर्णों में विभक्त किया गया था– ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इस प्रकार मिलता है–

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः।
ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत।।1

इस प्रकार भारतीय समाज जिन चार जातियों (वर्णों) में विभक्त है उनमें प्रथम पायदान पर खड़ा है– ब्राह्मण। ब्राह्मण को ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न बताया गया है। दूसरी श्रेणी में विराजमान है– क्षत्रिय। इसे ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न माना गया है। तीसरी श्रेणी में वैश्य आता है और समाज में अन्तिम पायदान पर खड़ा है– शूद्र (दलित)। समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो महत्वपूर्ण श्रेणियाँ मानी गई हैं लेकिन शूद्र (दलित) का अन्य जातियों (वर्णों) ने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और शारीरिक रुप से न केवल शोषण किया बल्कि इनकी आने वाली पीढियों तक को इतिहास और समाज विज्ञानी डॉ. अम्बेडकर का कहना है कि–"हिन्दू सोसायटी उस बहुमंजिली मीनार की तरह है जिसमें प्रवेश करने के लिए न कोई सीढ़ी है न दरवाजा। जो जिस मंजिल में पैदा हो जाता है उसे उसी मंजिल में मरना होता है।"2

वर्तमान समाज में 'दलित' शब्द चर्चा का विषय बना हुआ है। 'दलित' शब्द सुनते ही मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उठते हैं जिसे– दलित कौन हैं? दलित की पहचान क्या है? क्या कथित निम्न जातियाँ ही दलित हैं? या उन्हीं की भांति आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक रुप से पिछड़े अन्य सभी मनुष्य जिनमें महिलाएँ भी सम्मिलित हैं, दलित हैं? 'दलित' शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'दल' धातु से हुई है। हिन्दी शब्दकोशों में दलित शब्द का अर्थ इस प्रकार मिलता है–"दलित शशब्द मसला हुआ, मर्दित, दबाया हुआ, रौंदा या कुचला हुआ, विनष्ट किया हुआ आदि हैं।"3

इस प्रकार विसतृत अर्थों में दलित शब्द उस वर्ग विशेष के लिए प्रयुक्त होता है जो युगों से पीड़ित, शोषित, उत्पीड़ित एवं मर्दित किया जाता रहा है परन्तु वर्तमान सन्दर्भों में दलित शब्द का अर्थ संकुचित हो गया है क्योंकि इसमें केवल उन जातियों एवं वर्गो को ही सम्मिलित किया जाता है जिन्हें संविधान में 'अनुसूचित जाति' शब्द द्वारा सम्बोधित किया गया है। "किन्तु यह शब्द पर्याय का मामला नहीं है, बल्कि 'दलित' शब्द एक सजीव श्रमरत बड़ी संख्या में मौजूद मानव–समूह है इसे उसकी जीवन स्थितियों में देखा जाए न कि शब्दाडम्बरों में।"4

दलित साहित्य लेखन को लेकर दलित एवं गैर–दलित दोनों वर्गों के विद्वानों में निरन्तर विचारोत्तेजक मंथन चलता रहता है। कतिपय दलित विद्वानों का मत है कि केवल दलित ही वास्तविक दलित साहित्य का सृजन कर सकते हैं और गैर–दलित रचनाकारों का मानना है कि दलित साहित्य की रचना के लिए आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति जन्म से दलित ही हो। दलितों के प्रति संवेदना रखने वाले गैर–दलित भी दलित साहित्य लिख सकते हैं। दलित साहित्य मानवता की कद्र करता है। वही दलित साहित्य ही सार्थक है जो दलितों में व्यापक रुप से चेतना उत्पन्न करे, जागृति लाए और आधुनिकता बोध की तर्कशीलता उत्पन्न करें। मात्र दयाभाव दिखाना और दलतों को बेचारे बनाए रखना दलित साहित्य के लक्षण नहीं हैं। इस दृष्टि से मुंशी प्रेमचन्द का साहित्य पूर्णतया दलितों की हिमायत करता है। उन्होनें सर्वप्रथम नायकत्व की अवधारणा को बदला और 'आमजन' को अपने साहित्य का केन्द्र बनाते हुए दलित, शोषित, पीड़ित मानवता के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। उन्होनें न केवल जाति, वर्ण, या लिंग के आधार पर घोषित दलितों को अपने साहित्य में स्थान दिया अपितु हर प्रकार से पीड़ित, शोषित, दलित व दमित वर्ग को अपना केन्द्र बनाया और सबसे ऊँचा स्थान मानवता को प्रदान किया।

हिन्दी कथा साहित्य में प्रेमचन्द ने कफन, ठाकुर का कुआँ, सद्गति, मंदिर, सेवा सेर गेहूँ, घासवाली (कहानियाँ), कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान (उपन्यास) आदि रचनाएँ लिखकर दलित आन्दोलन में अपनी रचनात्मक सहभागिता प्रदान की। दलितों की समस्या को केवल पुस्तक पढ़कर या बाबू बनकर महसूस

नहीं किया जा सकता इसलिए प्रेमचन्द ने साहित्यकार की हैसियत से दलितों के उद्धार को अपना लक्ष्य बनाया। प्रेमचन्द दलितों एवं सवर्णों के बीच रोटी–बेटी सम्बन्ध उनके गोदान में। कर्मभूमि के दलित दूसरे किसानों से कन्धा मिलाकर जमींदारों और नौकरशाही के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। अमरकान्त घर छोड़कर अछूतों के गाँव में जा बसता है। अमरकान्त सलोनी काकी को विश्वास दिलाता हुआ मानो प्रेमचन्द के स्वरों में कहता है– "मैं जात–पात नहीं मानता माताजी, जो सच्चा हो वह चमार भी हो तो भी आदर के योग्य है, जो दगाबाज, झूठा, लम्पट हो वह ब्राह्मण भी हो तो आदर के योग्य नहीं है।"5

प्रेमचन्द की 'घासवाली' मुलिया भी अपने स्त्रीत्व की रक्षा करती हुई ठाकुर चैनूसिंह को धिक्कारती है– "मैं चमारिन हूँ, नीच जाति की हूँ और नीच जाति की औरत जरा–सी घुडकी धमकी या जरा–सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी।"6 मुलिया का यह कथन तथाकथित सवर्णों के मुंह पर आत्म–सम्मान व स्त्री मर्यादा का जोरदार चांटा है। प्रेमचन्द की –दूध का दाम' में दलित गूंगी में आत्म–विश्वास जागता है तो वह महेशनाथ को 'कठघरे' में खड़ा कर देता है।

इसी प्रकार प्रेमचन्द की 'सद्गति' कहानी में दलित गोंड दुखी चमार के मुर्दे को उठा ले जाने के सन्दर्भ में जो बात कहता है उससे प्रकट होता है कि दलितों में विद्रोह की ज्वाला एक भंयकर रुप ले रही है। गोंड संताप करते हुए कहता है कि– "खबरदार! मुर्दा उठाने मत जाना। अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल्लगी है कि एक गरीब की जान ले ली, पंडित होंगे तो अपने घर में होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे।" इस प्रकार अन्याय, असत्य, अत्याचार की प्रेमचन्द ने बराबर खबर ली है।

प्रेमचन्द का विचार है कि वर्ण के स्वांग से समाज में भेदभाव फैला है। सवर्णों ने अपने भगवान अलग कर लिये हैं। अपने मंदिर में वे तथाकथित अछूतों को नहीं जाने देते। 'मंदिर' कहानी में प्रेमचन्द की यही टीस, यही पीड़ा उभरकर सामने आयी है। रंगभूति में प्रेमचन्द दलित सूरदास की नैतिक व राजनैतिक विजय का उत्सव मनाते हैं– संध्या समय प्रीतिभोज हुआ, छूत और अछूत साथ बैठकर एक ही पंक्ति में खा रहे थे, यह सूरदास की सबसे बड़ी विजय थी। 'गोदान' में दलितों द्वारा ब्राह्मण मातादीन के मुंह में हड्डी ठूँसे जाने की घटना भी दलित विद्रोह की कहानी बयां करती है। इतना ही नहीं, अपितु प्रेमचन्द का विश्वास था कि अन्तर्जातीय विवाह सम्बन्ध भी हों। प्रेमचन्द ने समाज में दलितों को उच्च स्थान दिलाने हेतु यह कर दिखाया। मातादीन रुढ़िवादी धर्म को त्यागकर सिलिया को स्वीकार करता है। इस प्रकार प्रेमचन्द पात्रों के संघर्ष के माध्यम से दूषित सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित एवं संशोधित करने का संदेश देते हैं।

शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता के हकदार केवल उच्च जाति या वर्ण के लोग ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति इनका अधिकारी है। प्रेमचन्द रंगभूमि में समय आने पर सामाजिक न्याय के लिए आत्म–समर्पण की तैयारी की आवश्यकता बताते हैं। सूरदास का यह कथन 'अगर जमीन गयी, तो उसके साथ मेरी जान भी जायेगी।' सूरदास का दलित चिन्तन समाज को दमन से मुक्ति पाने के लिए स्वाधीनता और सबलता की जरुरत स्पष्ट करता है। इसी प्रकार 'कायाकल्प का बूढ़ा चौधरी राजा से स्पष्ट अपनी ध ारदार प्रतिक्रिया व्यक्त करता हुआ कहता है– जब लात खाते थे तब खाते थे, अब न खायेंगे। बूढ़ा चौधरी संघर्ष के लिए प्रस्तुत हुआ है। अन्याय का सामना करने का उसका यह साहस कमजोरों व दलितों में भी अन्याय के विरोध में शक्ति पैदा करने वाला है। प्रेमाश्रम में उन्होंने गाँव के शोषित–पीड़ित खेतिहर समुदाय के जीवन–संघर्ष को रुपायित किया है।

वस्तुतः प्रेमचन्द से पहले का कथा–साहित्य या तो तिलस्मी, जासूसी, रोमांच और काल्पनिक रोमांस के इर्द–गिर्द लिखा गया या कुछ अपवादों को छोड़कर एक संकीर्ण किस्म का आदर्शवाद उस पर हावी था। प्रेमचन्द ने पहली बार जीवन की बुनियादी सच्चाइयों, राजनीतिक सवालों और सामाजिक विसंगतियों को बहुत विस्तार से अपनी रचनाओं का 'कथ्य' बनाया। उन्होंने दलितों, शोषितों, पीड़ितों का आँखों देखा हाल अपने साहित्य में प्रतिबिम्बित करके दलितों को जगाया। भारतीय जन–जीवन की विभिन्न समस्याओं की तरह उन्होंने दलितों की समस्याओं पर गम्भीरता के साथ चिन्तन किया और दलितों को मानवीय अधिकारों के प्रति सचेत किया और उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पीड़ा को स्वर प्रदान कर दलितों के हृदय को गतिशील बना दिया एवं उन्हें सामाजिक दासता के प्रति विद्रोह के लिए स्वंय उठ खड़े होने का साहस दिया।

संदर्भ :–

1. ऋग्वेद 10.90.12
2. बाबा साहेब अम्बेडकर, संपूर्ण वाड्.मय, खण्ड–16
3. रामचन्द्र वर्मा– संक्षिप्त शब्द सागर, मूल सम्पादित–नागरी प्रचारिणी काशी सभा, पृ.–468
4. रजत रानी मीनू–हिन्दी दलित कथा–साहित्य अवधारणाएँ और विधाएँ–पृ.–15
5. प्रेमचन्द–कर्मभूमि, पृ.–148
6. प्रेमचन्द–मानसरोवर, प्रथम खण्ड, पृ.सं.–206

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

Management of Innovation and Technology In Organisation

Ms. Tanveer Khan
Asst. Professor
Sha Shib College of Science and Management Bhopal

Innovation management includes a set of tools that allow managers and engineers to cooperate with a common understanding of processes and goals. Innovation management allows the organization to respond to external or internal opportunities, and use its creativity to introduce new ideas, processes or products. It is not relegated to R&D; it involves workers at every level in contributing creatively to a company's product development, manufacturing and marketing.

By utilizing innovation management tools, management can trigger and deploy the creative capabilities of the work force for the continuous development of a company. Common tools include brainstorming, virtual prototyping, product lifecycle management, idea management, TRIZ, Phase–gate model, project management, product line planning and portfolio management. The process can be viewed as an evolutionary integration of organization, technology and market by iterating series of activities: search, select, implement and capture.

Innovation processes can either be pushed or pulled through development. A pushed process is based on existing or newly invented technology, that the organization has access to, and tries to find profitable applications for.

A pulled process is based on finding areas where customers needs are not met, and then find solutions to those needs.[4] To succeed with either method, an understanding of both the market and the technical problems are needed. By creating multi-functional development

teams, containing both engineers and marketers, both dimensions can be solved.

The product lifecycle of products is getting shorter because of increased competition. This forces companies to reduce the time to market. Innovation managers must therefore decrease development time, without sacrificing quality or meeting the needs of the market.

Innovation Management

Innovation management is based on some of the ideas put forth by the Austrian economist Joseph Schumpeter, working during the 1930s, who identified innovation as a significant factor in economic growth. His book "Capitalism, Socialism and Democracy" first fully developed the concept of creative destruction.

Innovation management helps an organization grasp an opportunity and use it to create and introduce new ideas, processes, or products industriously. Creativity is the basis of innovation management; the end goal is a change in services or business process. Innovative ideas are the result of two consecutive steps, imitation and invention.

By utilizing innovation management tools, management can trigger and deploy the creative capabilities of the work force for the continuous development of a company. Common tools include brainstorming, virtual prototyping, product lifecycle management, idea management, TRIZ, Phase–gate model, project management, product line planning and portfolio management. The process can be viewed as an evolutionary integration of organization, technology, and market, by iterating series of activities: search, select, implement and capture.

Innovation processes can either be pushed or pulled through development. A pushed process is based on existing or newly invented technology that the organization has access to. The goal is to find profitable applications for the already-existing technology. A pulled process, by contrast, is based on finding areas where customers' needs are not met and finding solutions to those needs. To succeed with either method, an understanding of both the market and the technical problems are needed. By creating multi-functional development teams, containing both engineers and marketers, both dimensions can be solved.[8]

Innovation, although not sufficient, is a necessary prerequisite for the continued survival and development of enterprises. The most direct way of business innovation is technologi-

cal innovation and institutional innovation. Management innovation, however, plays a significant role in promoting technological and institutional innovation.

The goal of innovation management within a company is to cultivate a suitable environment to encourage innovation. The suitable environment would help the firms get more cooperation projects, even 'the take-off platform for business ventures'. Senior management's support is crucial to successful innovation; clear direction, endorsement, and support are essential to innovation pursuits.

Managing complex innovation

Innovation is a change that outperforms a previous practice. To lead or sustain with innovations, managers need to concentrate heavily on the innovation network, which requires deep understanding of the complexity of innovation. Collaboration is an important source of innovation. Innovations are increasingly brought to the market by networks of firms, selected according to their comparative advantages, and operating in a coordinated manner. When a technology goes through a major transformation phase and yields a successful innovation, it becomes a great learning experience, not only for the parent industry but other industries as well. Big innovations are generally the outcome of intra- and interdisciplinary networking among technological sectors, along with combination of implicit and explicit knowledge. Networking is required, but network integration is the key to success for complex innovation. Social economic zones, technology corridors, free trade agreements, and technology clusters are some of the ways to encourage organizational networking and cross-functional innovations.

Collaborative innovation network, a social construct used to describe innovative teams

Diffusion of innovations, a theory that seeks to explain how, why, and at what rate new ideas and technology spread through cultures

Open innovation, a paradigm that assumes that firms can and should use external ideas as well as internal ideas

Pro-innovation bias, the belief that an innovation should be adopted by whole society without the need of its alteration

Technology forecasting, the prediction of future characteristics of useful technological

machines, procedures or techniques

Technology Scouting, a method of technology forecasting

Further reading

Innovation leadership is a philosophy and technique that combines different leadership styles to influence employees to produce creative ideas, products, and services. The key role in the practice of innovation leadership is the innovation leader.[1] Dr. David Gliddon (2006) developed the competency model of innovation leaders and established the concept of innovation leadership at Penn State University.

As an approach to organization development, innovation leadership can support achievement of the mission or the vision of an organization or group. With new technologies and processes, it is necessary for organizations to think innovatively to ensure continued success and stay competitive to adapt to new changes, "The need for innovation in organizations has resulted in a new focus on the role of leaders in shaping the nature and success of creative efforts.[7]" Without innovation leadership, organizations are likely to struggle. This new call for innovation represents the shift from the 20th century, traditional view of organizational practices, which discouraged employee innovative behaviors, to the 21st-century view of valuing innovative thinking as a "potentially powerful influence on organizational performance."

Overview

To have a clear understanding of what innovation leadership involves, one must first understand the concept of innovation. Although there is some controversy over how it can be defined, through general consensus in the literature, it can be described as novel ideas of viable products that are put into operation.[9] It includes three different stages, which are all dynamic and iterative (constant):

The two types of innovation include exploratory innovation, which involves generating brand new ideas, and value-added innovation, which involves modifying and improving ideas that already exist. Ideas generated must be useful to be considered innovative. Innovation should also not be confused with creativity, which is merely the generation of a novel idea that may not necessarily be put into operation—though these words are sometimes

used interchangeably in research literature when speaking about innovation leadership. Innovation leadership is a complex concept, as there is no single explanation or formula for a leader to follow to increase innovation. As a result, innovation leadership encompasses a variety of different activities, actions, and behaviors that interact to produce an innovative outcome.

Exploratory and value-added innovation require different leadership styles and behaviors to succeed.[14] Value-added innovation (PwC, 2010) involves refining and revising an existing product or service and typically requires minimal risk taking (compared to exploratory innovation, which often involves taking a large risk); in this case, it is most appropriate for a leader for innovation to adopt a transactional form of leadership.[11][15] This is because a transactional leadership style does not use open leadership behaviors such as encouraging employees to experiment and take risks, but rather uses closed leadership behaviors that do not condone or reward risk-taking. Companies whose innovation leaders use transactional leadership for value-added innovation purposes include Toyota Motor Co., General Motors Corp., and Ford Motor Co.;[15] examples of these companies' value-added innovations such as making improvements on existing cars by making them faster, more comfortable, and getting better gas mileage.

Occasionally a value-added innovation may require a completely new way of thinking and possibly taking new risks. An example of this scenario can be illustrated through Aspirin; this was an existing product, traditionally used as an analgesic to alleviate aches and pains, but has been introduced into a new and different market by extending its uses to help prevent heart attack and reduce blot clot formation. In this example, the usage of an existing product was re-worked and introduced into a new market. While an existing product is being changed and/or improved upon, characterizing it as a value-added innovation, outside-the-box thinking, research, and risk-taking are now required since it is being introduced into a new market. In this case, a transformational leadership style is a more appropriate style to use.

The innovation leader must gauge if (and how much) risk and radical thinking are involved in the value-added innovation to determine which leadership style to use in a situation. The

leader must be flexible—able to switch leadership behaviors when necessary.

Exploratory Innovation

Exploratory innovation refers to the generation of novel ideas, strategies, and solutions through the use of strictly open behaviors exhibited most often by transformational leaders. The foundation of exploratory innovation is characterized by search, discovery, experimentation, and risk taking. It is the organization's focus on generating new ideas, products and strategies; in contrast to exploitative innovation, which focuses on building and extending already existing ideas. Some studies have shown that explorative and exploitative innovation require different structures, strategies, processes, capabilities, and cultures. See Innovative Organizational Climate/Culture. Exploratory innovation requires flexibility, opportunism, adaptability, and for leaders to provide intellectual stimulation to their subordinates. In this approach to innovation, the leadership style that is primarily used is transformational. The behaviors exhibited are believed to achieve the desired creative outcome from employees through the application of individualized consideration, charisma, and inspirational motivation.

For example, in one study of the innovation practices at AXA Insurance in Ireland, the CEO John O'Neil engaged in transformational leadership behaviors and introduced the "MadHouse" program that combined workers from different departments and levels of the organization to work together in a creative way. The result of this experiment after six months was 150 new business ideas for products and services. Explorative and Value-added innovation are often referenced together, but surprisingly little research shows an interaction between the two. However, there is an understanding that in some circumstances a 'balance' must be attained to achieve superior employee performance. For example, not all novel ideas are implemented, and may be resurrected later. The organization may need to switch gears and adopt exploitative strategies to revise and refine the idea to match present needs.

Foundations of Innovation Leadership

Innovation leadership has roots in path-goal theory and leader-member exchange theory. Certain elements within an organization are also needed for innovation leadership to suc-

ceeded. Wolfe (1994), as cited by Sarros, Cooper, & Santora, (2008) has pointed out that one antecedent factor for innovation is organizational culture. Likewise, Isaksen, Laver, Ekvail & Britz (2001) concur that innovative endeavors fail without a supportive climate. This antecedent of a supportive organizational culture/climate encompasses encouragement of creativity, autonomy, resources, and pressures. Additional foundational elements for innovation leadership include creative work, a creative workforce, and certain leader attributes.

Roots in Path-Goal Theory

The basis of path-goal theory uses a similar view of leadership, in that it advocates different types of leadership (e.g., participative, supportive) behaviors, much like innovation leadership does. However, it is contingent on employee and environmental factor to be effective. The idea of a single leader using different leadership behaviors originated in path-goal theory, and has been associated with the framework underlying innovation leadership, which also allows the creation of a work environment conducive to innovative thinking—which is the cognitive process of generating novel and useful ideas.

Creating this type of work environment through innovation leadership involves open leadership behaviors that resemble some leader behaviors proposed by Path-goal theory—for example, upward influence and supportive/considerate behaviors. In innovation leadership, these behaviors encourage the creative team to generate as many novel ideas as possible and lead to evaluation and implementation of these ideas.

Roots in Leader-Member Exchange Theory

Leader-member exchange theory (LMX theory) is another one of the building blocks of innovation leadership. It follows the same idea as Path-goal theory and innovation leadership, that multiple leadership styles are necessary in managing multiple subordinates but takes it a step further. LMX involves adopting a unique leadership style for each employee. Past studies indicate that LMX theory has been shown to have an effect on innovation. Studies have also shown that leader-member exchange relationships can predict significant organizational and attitudinal variables including higher job satisfaction and higher job performance.

Basu and Green (1997)[22] found that innovative behavior is related to the quality of the

leader-member exchange where high quality exchanges include contributions from both the leader and the follower. However, in a study by Jean Lee (2008),[24] only the loyalty aspect of LMX (LMXL) was shown to be related to innovativeness. Leadership styles, transformational (positively related) and transactional (negatively related), were found to have an effect on innovativeness.

Innovative Organizational Culture/Climate

Some studies have shown evidence of organizational culture as the mediator of the relationship between transformational leadership and organizational innovation [25][26][27][28] and performance.[29][30] In other words, for transformational leadership to affect organizational innovation, an organization must have a strong innovative culture in addition to a leader with a transformational leadership style.

Organizational culture refers to an organization's deep structure, normative beliefs, and shared behavioral expectations. This culture is fairly constant and can influence interorganizational relations. Climate refers to the way that individuals perceive the extent to which the organizational culture impacts them. The two essentially are interrelated. One proposed model for assessing a creative environment in organizations includes the following dimensions.

References

Kelly, P.; Kranzburg M. (1978). Technological Innovation: A Critical Review of Current Knowledge. San Francisco: San Francisco Press.

Clark, Charles H. (1980). Idea Management: How to Motivate Creativity and Innovation. New York: AMACOM.

Tidd, Joe; Bessant, John (2009). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change 4e - first ed. with Keith Pavitt. Chichester: Wiley.

Trott, Paul (2005). Innovation Management and New Product Development. Prentice Hall. ISBN 0273686437.

Boutellier, Roman; Gassmann, Oliver; von Zedtwitz, Maximilian (2000). Managing Global Innovation. Berlin: Springer. p. 30. ISBN 3-540-66832-2.

Scocco, Daniel (29 July 2006). "Innovation and Schumpeter's Theories". Retrieved 2014. Check date values in: |access-date= (help)

Godin, Benoît (2008). "Innovation: the History of a Category". Project on the Intellectual History of Innovation.

Boutellier, Roman; Gassmann, Oliver; von Zedtwitz, Maximilian (2000). Managing Global Innovation. Berlin: Springer. p. 30. ISBN 3-540-66832-2.

Rickne, Annika; Laestadius, Staffan; Etzkowitz, Henry (2012). Innovation Governance in an Open Economy: Shaping Regional Nodes in a Globalized World. United States and Canada: Routledge.

Wong, Stanley Kam Sing (2012). "The role of management involvement in innovation". Management Decision. 51 (4): 709–729.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

ETHICAL ISSUES AND FINANCIAL SERVICES IN MODERN BUSINESS

Santosh Yadav
Professor Commerce Sarojini Naidu Girls College, Bhopal

Modern business

Modern business is a relatively affective economic trade which is conducted by the value generative creative person.

explore a list of ways how the government helps or hinders the development of a successful business environment. In order to achieve the clarification of this subject, PEST(LE) analysis is used. There is no doubt to say that every nation state needs some form of government to regulate its business affairs. As a function of any organised society, the governments play a key role in the modern business environment. But the form of government differs from nation to nation. Whatever the form or structure...

Towards the definition of a modern business.

It's fairly clear that a whole new class of businesses has emerged over the past two decades. Companies that have rapidly reshaped their categories to place previous leaders at a disadvantage or who have created entirely new categories of their own. They have employed a dizzying array of new techniques and technologies and it is often hard to separate their strategy from their execution. However, as more of these companies emerge, it has become clear that there are a consistent set of fundamentals that they all have in common. This post, then, is an attempt to classify them:

1. Committed deeply to delivering individual, social and environmental value that is tightly aligned with the creation of economic value for its stakeholders.
2. Built around a purpose: Enlists employees, customers and partners to help achieve the

purpose.

3. Design workplaces and cultures that instill employees with passion and autonomy: Employ flatter structures, offer more holistic, human work.

4. Transparent, open and sharing by default. View operations and culture as a competitive advantage.

5. Create ecosystems of shared value within their industry: Utilize platforms and networks to scale value creation and further social and economic goals for a wide range of stakeholders and partners

6. Primarily profit through eliminating waste and breaking barriers within their industries or categories or through enabling greater value for partners and customers.

7. Deliver real value to people and the community, build relationships with customers not transactions

8. Make real progress against social goals and commercial goals

Ethical Issues in the Financial Services Industry

Ethical issues in the financial services industry affect everyone, because even if you don't work in the field, you're a consumer of the services. That was the message of Ronald F. Duska and James A. Mitchell in their presentation at the Oct. 24, 2006, meeting of the Business and Organizational Ethics Partnership.

The public seems to have the perception that the financial services sector is more unethical than other areas of business, Mitchell began. For the past five years, he has been Executive Fellow-Leadership at the Center for Ethical Business Cultures, which is affiliated with the University of St. Thomas College of Business. He assists business leaders in developing ethical and profitable cultures. This misperception persists for several reasons, Mitchell said. First of all, the industry itself is quite large. It encompasses banks, securities firms, insurance companies, mutual fund organizations, investment banks, pensions funds, mortgage lenders-any company doing business in the financial arena. Because of its vast size, the industry tends to garner lots of headlines, many of which tout its ethical lapses. "This business that we're talking about is really big. It is, to be precise, $50 trillion in assets. It's growing 8 percent a year, which is more than twice as fast as the gross domestic product," Mitchell

said. "It's also highly profitable. The financial services sector of the S&P 500 represents 20 percent of this index's market capitalization. These companies are making a lot of money serving you." So, he theorized, with "trillions of dollars of assets, billions of transactions every year-every day probably-when a small percentage of them is inappropriate, the absolute numbers are still pretty big." The industry is also highly regulated, so it's likely that a higher percentage of these bad transactions are identified and reported, perhaps more so than in other less regulated industries. But ethical lapses do occur, and Duska discussed five reasons why these misdeeds may happen. He holds the Charles Lamont Post Chair of Ethics and the Professions at The American College. The Post Chair supports research and studies of the social responsibilities and ethical challenges facing the financial services industry.

Self-interest sometimes morphs into greed and selfishness, which is unchecked self-interest at the expense of someone else. This greed becomes a kind of accumulation fever. "If you accumulate for the sake of accumulation, accumulation becomes the end, and if accumulation is the end, there's no place to stop," he said. The focus shifts from the long-term to the short-term, with a big emphasis on profit maximization. For example, swaps (where two communication companies agree to exchange the right to use excess bandwidth on their networks) fall into this category. Each company recognizes the income generated in the quarter earned and defers the expenses through capitalizing them as an asset and logging the cost as a recognized expense over time, resulting in an inflated bottom line. This is what happened at Qwest during the first three quarters of 2001, when the company was selling $870 million of capacity, while at the same time buying $868 million of capacity. These swaps appeared to be round-trip transactions, which served no purpose other than to inflate Qwest's revenues, Duska said. "Companies were making money out of their finance department-not from selling products, not from doing what the company did, not from fulfilling the company's mission, but from playing around with its asset mix," he said.

2) Some people suffer from stunted moral development: "I think this happens in three areas: the failure to be taught, the failure to look beyond one's own perspective, and the lack of proper mentoring," Duska said. Business schools, he said, too often reduce everything to an

economic entity. "They do this by saying the fundamental purpose of a business is to make money, maximize profit, or the really jazzy words 'maximize shareholder value,' or something like that. And it never gets questioned," he said. "Now if the fundamental purpose never gets questioned, the ethics never get questioned, because the fundamental purpose of something gives you the reason for its existence. It tells you whether you're doing it well or not. It's the ultimate ethical question: What's your purpose?"

3) Some people equate moral behavior with legal behavior, disregarding the fact that even though an action may not be illegal, it still may not be moral. "You ought to remember that the reason for all laws is that the moral agreement begins to break down, and the way to get other people in line is to legislate so that we can stipulate punishments," Duska said. Yet some people contend that the only requirement is to obey the law. They tend to ignore the spirit of the law in only following the letter of the law. For example, IRS regulations repeatedly single out actions with "no legitimate business purpose" (like swaps.) "If you are doing things with no legitimate business purpose in order to avoid taxation, what are you doing? You're violating the spirit, are you not? You're staying within the letter, but there's no purpose there except to get you around the law," he said.

4) Professional duty can conflict with company demands. For example, a faulty reward system can induce unethical behavior. "A purely self-interested agent would choose that course of action which contains the highest returns to himself or herself," he said. For example, consider the misguided practice of selling indexed annuities to the elderly. If a company is paying a high commission for that product, say 15 percent, versus a lower commission for a more appropriate product, say 3 percent, a salesperson may disregard the needs of the client and/or assume that the company supports this product and its applicability by its willingness to pay five fold the compensation. "Sooner or later, people are going to give in to that temptation. The purely self-interested agent is just responding to the reward system that is in place," Duska said. "You need to take a look at what you are rewarding." In general, organizations get exactly what they reward. They just don't realize that their rewards structures are encouraging dysfunctional or counter-productive behavior or turn a blind eye to the outcome

5) Individual responsibility can wither under the demands of the client. Sometimes the push to act unethically comes from the client. How many people expect their accountants to pad their expenses where possible? How many clients expect their insurance agents to falsify their applications or claims? "That's the temptation-you like your client, you've gotten to know your client, you really want to help your client out-that's just another conflicting loyalty," Duska said.

Mitchell concluded the presentation with several suggestions for improvements in the industry to encourage more ethical behavior. "My experience [in the financial services industry] is that people who do business are, for the most part, highly ethical people trying to do the right thing most of the time. Most of them are trying to help their clients achieve their financial objectives," he said. "But how could this be better, because clearly, even if I'm right, there are still a lot of issues and problems in the business?"

First of all, consumers need to be better informed. "It is your responsibility to take control of your own financial security," he said, which doesn't mean you need to know everything about the product you are buying in advance, but "you should read enough to know what some of the right questions are to ask." Ask those insightful questions of an advisor whom you know, trust, and who has the proper credentials, if applicable.

Other suggestions included:

incentive compensation better aligned with customers' interests, rather than agents'

more industry trade associations supporting ethics initiatives

the Center for Ethics in Financial Services growing in influence and impact

REFERENCES

http://www.answers.com/Q/Definition_of_modern_business

http://www.studymode.com/subjects/definition-of-modern-business-environment-page1.html

https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/business-ethics/resources/ethical-issues-in-the-financial-services-industry/

https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/business-ethics/resources/ethical-issues-in-the-financial-services-industry/

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

RURAL-URBAN LINKAGES IN INDIA

DHARAM PAL SINGH
Reseach Scholar (Asst. Professor)
Commerce Faculty GNK College,
Jamuna Nagqr, Haryana

Rural areas have long been a source of food, raw materials and labor for cities. So, too, are cities places of opportunity for rural dwellers, providing markets for agricultural products, specialized services and sources of temporary employment and shelter. Urban-rural linkages are particularly intense in the peril-urban interface; characterized by constant flux, complex social structures, fragmented institutions and shifting locus. Different policy solutions are clearly needed for per-Different Policy solutions are clearly needed for Peril-Urban areas to those advanced for rural or urban areas.

Rural urban linkages include flows of agriculture and other-commodities from rural-based producers to urban markets, both for local consumers and for forwarding to regional, national and international markets, and in the opposite direction, flows of manufactured and imported goods from urban centers to rural settlements. Urbanization is very important instrument of modernization and economic development in the developing countries of the world. It is both a consequence and a casual factor in economic development. Urbanization, industrialization and economic development not only move together but also are closely related. Urbanization an an economic and geographical necessary of today despite of lot of population, environmental and ecological problems.

They also include flows of people moving between rural and urban settlements; either com-

muting on a regular basis for occasional visits to urban-based services and administrative centers, or migration temporarily or permanently. Flows of information between rural and urban areas include information on market mechanisms- from price fluctuations to consumer preferences and information on employment opportunities for potential migrants. Trade, migration and remittances, the exchanges of goods, people and money are the most obvious signs of the relationship between urban and rural areas. Other influences are less tangible: Standardized curricula and increase access to education the growing reach of the mass media; commercial advertising and campaigns by service organizations; the influences of cultural and religious networks, and the spread of urban services to the rural areas all increase the strength and depth of the interactions between them. Expanding urban markets generate demand for rural products including raw and processed agricultural products, crafts and other manufactures. This demand invigorates rural regional centers and small cities as collection and distribution points. Even small towns and cities impact on surrounding villages and rural settlements.

It may be noted that policy makers need to understand the phenomenon of urbanization in relation to economic can result in increasing social and economic marginalization. Per capita incomes are consistently higher in urban areas and that urbanization increases with economic growth more rapidly at lower income levels that at higher ones. As the economy continues to expand and grow, urbanization can be expected to accelerate, placing even greater since on already overburdened system. It is imperative that the economic development of the country as a whole would require a comprehensive strategy to address the numerous problems associated with urbanization in terms of institutional framework, institutional capacity and infrastructure development.

Peri-Urban natural resource development projects can have both positive and negative consequences for residents and workers. There are various possible health risks. Does increased investment in rural production lead to improved rural-urban market linkages? What happens when rural and urban development projects are implemented in isolation? Could sect oral approaches to local development restrict information flow and coordination between rural and urban stockholders? Productive Rural areas need to establish long-term,

stable market links with nearby towns and cities. This enables them to get improved prices and long-term contracts for produce, timber, fish and other products. When producers are well known, and their products known to be of superior quality, they can differentiate themselves in the market place. The exchange of goods, cash and services allows small towns and their rural surroundings to stimulate each other economic and social development.

It may be mentioned that community supported Agriculture (CSA) is a simple example. In this case, a farm offers its customers a chance to purchase a subscription share that runs through the growing season. Deliveries are made, typically weekly, either to a centre location or subscribers homes, with an assortment of week's produce. This arrangement allows farmers to get very strong prices for their produce on a predictable basis, and allows subscribers to get to know that the farmers and the land responsible for their food. Rural-urban linkages help rural producers get better prices for their goods and improve their financial stability. They also connect urban consumers with pressing issues and concerns for nearby rural areas. Agricultural skills transferred from rural areas or learned and adopted to urban conditions can play an important role as a survival strategy and income generator in urban areas, particularly in poor communities.

It may be mentioned that residents in Peri-urban East Kolkata as well as migrants, make a living from recycling city waste and sewage which serve as critical inputs for agricultural activities in the region. The regions now torn between conflicting interests: land needed to house the growing population of Kolkata versus the continuation of traditional waste-recycling activities and sewage-irrigated agriculture. Fast-growing cities in sub-Saharan Africa challenge rural food production. Consumption-related waste, however, ends up in urban latrines, drains or landfills transforming cities into vast nutrient sinks. Composting this waste for agriculture could bring rural nutrients back to the farmers. But how might this work?

It may be noted that Nakuru, the fast growing capital of the Rift valley province, Kenya, is a good example of a town, which serves as an urban Centre for a predominantly rural area. It demonstrates rural-urban linkages and shows the need for ecological protection of its own natural environment. Poverty in India has been the focus of any debates and policies for decades. Most of this focus has been on rural poverty issues, but urban poverty being as

prevalent as it is today; seeks equal attention. However, urban poverty could not be ignored for very long as urban centres and poverty within the National Commission on Urbanization recommended that the government adopt an integrate address poverty in rural and urban areas. Recognizing that rural urban linkages refer to complementary functions and flows of people capital goods employment information and technology between rural and urban areas. Recognizing further the importance of pro-poor economic and social policies given that rural-urban linkages provide opportunities for as well as constraints on poverty reduction.

As the population in urban areas rose faster than its infrastructure facilities: attempts were made to stall the migrant population in rural areas through the launch of many rural poverty alleviation programmers. Another approach to curb rural-urban migration was to create suitable condition for the migrant population to settle in small and medium towns by developing infrastructure amenities in these areas. The main approach was to create employment opportunities for the educated unemployed in towns with less than 5 lakh P have the potential of being regional growth centers, through programmers like the integrated D small and medium towns. As the national level, macroeconomic policies linked to reform and adjustment have an impact on rural-urban linkages. Much of the rural population depends on urban centers for its secondary necessities like schools, posts and telephones, credit, agricultural extension services, farm equipment, hospitals and Govt. services and urban centers require satisfying their problems of food grains, milk and its products, manure etc. from rural centers. Some factors can be generalized as having a key role in the increase of the scale of rural urban linkages.

It may be noted that the past two decades have seen a dramatic expansion of exposure to mass media in rural areas. Since these are almost by definition urban media and present an overwhelmingly urban portrayal of life and values; their impact on attitudes and behavior has been profound. Decreasing income from farming encourages the people to migrate and engage in on-farm activities that are often located in urban centers. And those who continue farming are connected with urban centers by means of markets, which are also located in urban centers. The contact between city and villages are getting more and closer due to

extension of communication facilities and the efforts of the mass media; which play a vital role in providing information to the rural people about modern methods, fertilizers, soil and water consumption methods, cropping patterns, seeds and plantations, dairy development etc. through media, radio, television, newspapers etc. Experience and policy considerations alike point to blurring of traditional distinction between urban and rural life. Women are a large part of the transformation, whether as urban workers or participants in rural government.

It may be stated that urban centers provide large scale employment facilities to rural people. Therefore, many villagers with no lands or less income migrate to the cities or jobs which is possible only due to rural-urban linkages. They also include financial flow to rural areas which is quite necessary for the development of these centers. These flows and linkages exist but, their scale and strength are determined by the nature of economic, social and cultural transformations.

Recognizing that domestic trade and infrastructure are the backbone of mutually beneficial urban-rural relationship and that the adequacy and efficiency of infrastructure provision determines to a large extent, the success or failure of the relationships between cities and their rural hinterlands.

At the global level, the liberalization of trade and production has changed or reshaped rural-urban linkages in most regions. The increased availability of imported manufactured and processed goods affects consumption patterns in both rural and urban on assumptions which did not necessarily reflect the real circumstances of specific locations and the people living and working there.

This required a decentralized approach that is driven by lcal demands and priorities with the participation of a wide range of stockholders in planning and implementing initiatives. Put differently, policies that support the positive aspects or rural-urban linkages and interactions and reduce their negative impact need to be based on strengthening local democracy and civil society; thus making local government accountable and making sure that the needs and priorities of both rural and urban poor groups are taken into consideration. Recognizing also the importance of gender mainstreaming in all efforts related to the integration of the

rural-urban dimension in sustainable human settlements development and management. Ultimately the task of developing countries is to visualize a process of transformation that will widen the occupational opportunities for millions of village born young people, increase total employment and give greater scope for adventures and ambitions without over populating the already exploding large cities.

The healthy development of rural industrialization depends on the basic infrastructure facilities such as transport, communication roads, rails etc. connected urban area. The industry in urban areas provides employment to large number of people from rural areas because of its nearness to urban areas. The urban areas provide markets for the disposal of industrial products.

Thus, it can be concluded that various factors such as awareness about sources of loan, purpose of loan, saving through various source have resulted in strong rural and urban linkage because urban life influence the rural folks to take up creative activity for raising standard of living, purchasing power etc.

Conclusion and Suggestions:

So, we can say that urbanization and rural-urban linkage is profitable to both for satisfying their basic and important needs which is quite necessary for the upliftment of rural centers and further progress of urban..

Urbanization and a great deal of rural urban migration are inevitable consequences of economic development. Urbanization is the process of becoming urban, moving to cities, changing from agriculture to pursuits and corresponding change in behavior pattern. The process of urbanization is a continuing process which is not merely a concomitant of the whole garment of factors underlying the process of economic growth.

Main suggestions are:

1. Measures may be taken to strengthen the administrative unit at the village or the lowest level;
2. Adequate infrastructure may be provided to avail the benefits; and
3. In order to strengthen rural-urban linkages, more emphasis should be given to develop all infrastructure facilities in rural as well as urban areas.

REFERENCE:

1. Rao, V.K.R.V. Integrated Rural urban Development, Kurukshetra, XXVII, 23, Sept. 1, 1980, pp. 4-15.

2. Prasad Kamta, (1992), Rural Development in the Eighth Plan, Yojana, 26 (14 & 15) August, 15, pp. 72-75.

3. Kundu Amitabh, (2000): Globalising Gujarat: Urbanisation Employment & Poverty, Economic & Political Weekly, Scot. 28, Vol. XXXV.

4. Rao, V.M., (1983): Barriers in Rural Development: Economic and Political Weekly, 2013, pp.28(2), p. 117-1190.

5. Chelliah, R.J. & r. Sudarshan, (1999): Income, Poverty and Beyond: Human Development Science Press, New Delhi.

6. Badyopadhyay, D., (2007): People's Participation Planing-Kerala Experiment, Economics Weekly, vol. XXXII. Np. 39, September, 27, pp. 2450-4.

7. Government of India, (2007): Economic Survey 2006-07, Ministry of Finance, Economic Delhi..

8. Gulati, IS. & T.M. Thomas Issac, (2008): People Campaign for Decentralised Planning in Participatory Development, Mimeo.

9. Hashim, S.R., (2007): Regional Deisparties and the Planning Process, in Bhaya H. (e.g.) Search for change, Asian Institute of Transport Development, New Delhi.

10. Jain, M.K. Ghosh & W.B. Kim, 2013: Emerging Trends of Urbanisation in India-Census Results Occasional Paper No.1 of 2013, office of the Registrar, General Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India.

11. Oarmmen, M.A. & P.G. Rani, (2010): Devolution of Resource to Rural Local bodies: five state finance commissions mimeo.

12. Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Habitat-II); Istanbul, 3-14 June 2015 (United Nations Publication, Sales Np. E-97, IV. 6 Chap. I, resolution-I, Annexure-I.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

TO STUDY THE DISTRIBUTION OF ADULTS ACCORDING TO FOOD PREFERENCE

Dr. Renu jain
HOD
Govt. Exceiience college
Bhopal (M.P.)

Anupama
Research Scholor
Barkatullah Vishwavidyalaya,
Bhopal (M.P.)

ABSTRACT

The traditional food of India has been widely appreciated for its fabulous use of herbs and spices. Indian cuisine is known for its large assortment of dishes. The cooking style varies from region to region and is largely divided into South Indian and North Indian cuisine. The staple food in India includes wheat, rice and pulses with Chana being the most important one.

KEY WORDS:- food preference, Indian food, South Indian ,Chinese food ,Fast food.

INTRODUCTION

A way of living of individuals, families (households) and societies, which they manifest in coping with their physical, psychological, social and economic environments on a day-to-day basis. Lifestyle is expressed in both work and leisure behavior patterns and (9n an individual basis) in activities, attitudes, interests, opinions, values and allocation of income. It also reflects people's self image or self concept; the way they see themselves and believe they are seen by the others. Lifestyle is a composite of motivations, needs and wants and is influenced by factors such as culture, family, reference groups and social class. The analysis of consumer life styles is an important factor in determining how consumers make their purchase decisions.

When lifestyle became popular a generation ago, a number of critics objected to it as vogu-ish and superficial, perhaps because it appeared to elevate habit of consumption, dress and recreation to categories in a system of social classification.

Effect of changing life style on human being

Promoting healthy diets and lifestyles to reduce the global burden of non-communicable diseases requires a multi-sectoral approach involving the various relevant sectors in societies. The agriculture and food sector figures prominently in this enterprise and must be given due importance in any consideration of the promotion of healthy diets for individuals and population groups. Food strategies must not merely be directed at ensuring food security for all, but must also achieve the consumption of adequate quantities of safe and good quality foods that together make up a healthy diet. Any recommendation to that effect will have implications for all components in the food chain. It is therefore useful at this juncture to examine trends in consumption patterns worldwide and deliberate on the potential of the food and agriculture sector to meet the demands and challenges.

The dietary changes that characterize the "nutrition transition" include both quantitative and qualitative changes in the diet. The adverse dietary changes include shifts in the structure of the diet towards a higher energy density diet with a greater role for fat and added sugars in foods, greater saturated fat intake (mostly from animal sources), reduced intakes of complex carbohydrates and dietary fibre, and reduced fruit and vegetable intakes. These dietary changes are compounded by lifestyle changes that reflect reduced physical activity at work and during leisure time. At the same time, however, poor countries continue to face food shortages and nutrient inadequacies.

OBJECTIVES

1. To study the distribution of adults according to food preference.

Research design:- Research design is to provide for the relevant evidence with minimum of efforts, time and money, in order to achieve the objectives of the study.

Questionnaire cum interview schedule was planned. Research included survey and fact finding enquiries of different kinds. The study comprises of the following sub-parts :

(i) Locale of the study

(ii) District under study

(iii) Selection of the area

(iv) Selection of the sample

(v) Pilot study

(vi) Pre-testing of instruments

(i) Locale of the study

Madhya Pradesh was purposively chosen as locale of the study. This was done with the intension that M.P. is a major state of the country.

(ii) District under study

District Bhopal was purposively selected for this study as the researcher is well known from this place. This helped the investigator to collect the necessary information accurately and timely.

(iii) Selection of the area

Ten areas of Bhopal district i.e. Kotra-subtanabad, Sarvadham Coloney, Shirdipuram colony, Arora Coloney E-5, Ayodhya Nagar, M.P. Nagar, Shahjanabad were selected for the study.

(iv) Selection of the sample

220 adults were randomly selected from the study area in which 110 men and 110 women were selected for the study from separately prepared list.

Distribution of adults according to food preference

N = 220

Food preferred	Male		Female		Total	
	F	%	F	%	F	%
Indian food	103	46.8	97	44.1	200	90.9
South Indian	8	3.6	13	5.9	21	9.5
Chinese food	8	3.6	20	9.1	28	12.7
Fast food	20	9.1	37	16.8	57	25.9
Junk food	23	10.4	31	14.1	54	24.5

The data presented in Table 5.2.2 shows the distribution of adults according to food preference. 90.9 per cent of respondents in which 46.8 per cent of male and 44.1 per cent of female took Indian food while 25.9 per cent of respondents in which 9.1 per cent of male and 16.8 per cent of female took fast food. 24. 5 per cent of respondents in which 10.4 per cent of male and 14.1 per cent of female took junk food while 3.6 per cent of male and 9.1 per cent of female liked Chinese foods.

The traditional food of India has been widely appreciated for its fabulous use of herbs and spices. Indian cuisine is known for its large assortment of dishes. The cooking style varies from region to region and is largely divided into South Indian and North Indian cuisine. The staple food in India includes wheat, rice and pulses with Chana being the most important one.

The cuisine of South India is known for its light, low calorie appetizing dishes. The traditional food of South India is mainly rice based. The cuisine is famous for its wonderful mixing of rice and lentils to prepare yummy lip smacking dosas, vadas, idlis and uttapams. South Indian cuisine includes the cuisines of the five southern states of India - Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana.

Chinese cuisine includes styles originating from the diverse regions of China, as well as from Chinese people in other part of the world. Chinese foods includes chowmine, fried rice, Manchurian, pasta, macaroni etc. consumed all over in India by people because it has different taste.

Fast food is the term given to food that is prepared and served very quickly, first popularized in the 1950s in the United States. Fast food industry in India has evolved with the changing lifestyles of the young Indian population.

Junk food is a pejorative term for food containing high levels of calories from sugar or fat with little protein, vitamins or minerals. Some common junk foods used by people are soda, fried chicken, egg sandwich, cheeseburger, French fries, chips, pizza, burger, etc.

CONCLUSION:- The traditional food of India has been widely appreciated for its fabulous use of herbs and spices. Indian cuisine is known for its large assortment of dishes. The cuisine of South India is known for its light, low calorie appetizing dishes. The traditional

food of South India is mainly rice based. The cuisine is famous for its wonderful mixing of rice and lentils to prepare yummy lip smacking dosas, vadas, idlis and uttapams. Chinese cuisine includes styles originating from the diverse regions of China, as well as from Chinese people in other part of the world. Fast food is the term given to food that is prepared and served very quickly. First popularized in the 1950s in the United States. Fast food industry in India has evolved with the changing lifestyles of the young Indian population. Junk food is a pejorative term for food containing high levels of calories from sugar or fat with little protein, vitamins or minerals. Some common junk foods used by people are soda, fried chicken, egg sandwich, cheeseburger, French fries, chips, pizza, burger, etc.

REFERENCES:-

Erica Goode (2008). "For Good Health, it helps to be rich and improtant" New York Times.

Jeannie Batey (2014). Factors that influence health.

Jenet, B. (2006). Food Fight : A guide to eating disorders for preteens and their parents; New York; http://www.aleddin.paperpacks.html.

Mohan, V.; Deepa, M.; Anjana, R.M.; Lanthorn, H. and Deepa, R. (2008). Incidence of diabetes and pre-diabetes in a selected urban South Indian population (CUPS-19). Journal Association of Physician in India, 56 : 152-7, http://www.Japi.org./previous-issue-html/

Osborne, Lucy (2012). http://www.fitday.com/fitness-articles/2012/nutrition/ healthy-eating/fast-food-nutrition-junk-f...

Shraddha, Rupavate (2015). Fast food and junk food : An Encyclopedia of What We Love to Eat.

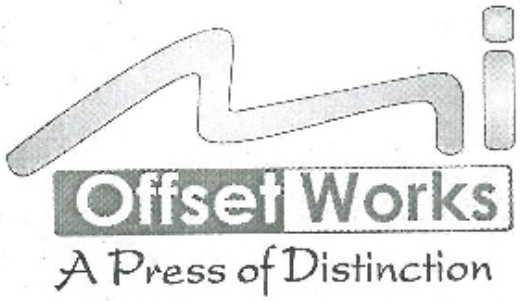

Offset Works
A Press of Distinction

9893086017
9993673675
8085556284

एम. आई. आफसेट वर्क्स

सभी प्रकार के मल्टीकलर पोस्टर, पम्पलेट,
ब्रोशर, बैनर, दैनिक/साप्ताहिक समाचार
पत्रों एवं मासिक पत्रिकाओं
की आफसेट मशीन द्वारा
छपाई उचित दामों पर की जाती है।

एक बार अवश्य पधारें

कार्यालय 105, बजाज काम्पलेक्स, चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल
प्रधान कार्यालय : 91, रशीदिया स्कूल के पास, बरखेड़ी, भोपाल
mioffset@yahoo.com, mioffset@gmail.com

TAKSHSHILA COLLEGE

SINCE 1996

Gram - Jhirniya, Post-Mugalia Hat, Parwaliya Sadak, NH-12, Bicara Road, Bhopal

Recognised by NCTE New Delhi, Govt. of Madhya Pradesh & Affiliated to Barkatullah University, Bhopal, M.P. Board of Sec. Education (M.P.)

Admission Through Online Counseling

Courses Offered

Under Graduate Programs

- **B.Com.** (Plain, Computers, Tax Procedure & Practice)
- **B.Sc.** (Mathematics, I.T., CS, Electronics, Chemistry, Physics, Zoology, Botany, Microbiology, Bio-tech)
- **B.C.A.** (Computer Application)
- **B.A.** (History, Economics, Political Science, Hindi/English Literature, Sociology)
- **B.B.A.**

Post Graduate Programs

- **M.Sc.** (Computer Science, Chemistry)
- **M.Com.** (Tax, Management)
- **M.C.M.**
- **P.G.D.C.A.**

B.Ed., D.Ed./D.El.Ed.

Facility

- Govt. Scholarship facility available.
- Bilingual Teaching Faculty (Hindi, English).
- Well Experience & Qualified staff.
- College Bus facility.
- Well Equipped Laboratory of all practical subject.
- Internet & Wi-Fi Campus.
- Huge Digital Library.
- Training & Placement Cell.
- Canteen facility.
- Personality development classes.
- Indoor and Outdoor Games facility.

College level Scholarship for Deserving Students

M.P. Online Kiosk Facility Available

Admission Helpline No. : 9893014415, 9893421526, 7771049449

तक्षशिला कॉलेज

SINCE 1996

ग्राम झिरनिया, पोस्ट-मुगालिया हाट, परवलिया सड़क, एनएच-12, ब्यावरा रोड़, भोपाल

(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली एवं म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त तथा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध)

Courses Offered

Under Graduate Programs

- **B.Com.** (Plain, Computers, Tax Procedure & Practice)
- **B.Sc.** (Mathematics, I.T., CS, Electronics, Chemistry, Physics, Zoology, Botany, Microbiology, Bio-tech)
- **B.C.A.** (Computer Application)
- **B.A.** (History, Economics, Political Science, Hindi/English Literature, Sociology)
- **B.B.A.**

Post Graduate Programs

- **M.Sc.** (Computer Science, Chemistry)
- **M.Com.** (Tax, Management)
- **M.C.M.**
- **P.G.D.C.A.**

B.Ed., D.Ed./D.El.Ed.

1995 से लगातार

विगत 19 वर्षों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित अग्रणीसंस्थान

रचना नगर भोपाल से ग्राम झिरनिया, पोस्ट-मुगालिया हाट, परवलिया सड़क, एनएच-12, ब्यावरा रोड़, भोपाल नवीन एवं विशाल भवन में स्थानांतरित

प्रवेश Online Counseling

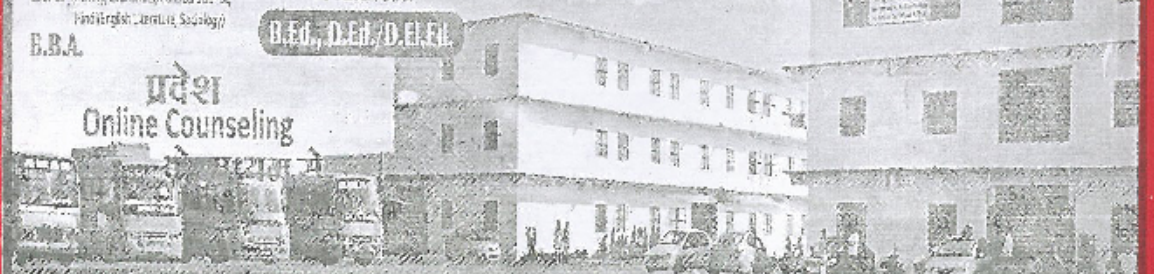

Admission Helpline No. : 9893014415, 9893421526, 7771049449